

जगत विज्ञान

केन्द्रीय बजट 2024

बजट से मोदी सरकार ने
साधा सियासी गणित!





प्रेरणा स्रोत : स्व. श्री जगत पाठक



निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
विशेष संवाददाता	अर्चना शर्मा

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज
एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लॉट नं. 28 सुरभि विहार
बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17,
शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया
पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय
रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख
एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका

वर्ष 24 अंक 12 05 अगस्त 2024

केन्द्रीय बजट 2024

**बजट से मोदी सरकार ने
साधा सियासी गणित!**



(पृष्ठ क्र.-6)

- नक्सल प्रभावित जिलों में कारगर साबित हो रही है नियद नेल्लानार योजना28
- भारत में क्यों आती हैं बाढ़, बारिश और तबाही?32
- केरल में भूस्खलन से तबाही44
- प्रशासनिक सेवा और नैतिकता की कसौटी48
- कलम के सिपाही...जगत पाठक52
- स्वाधीनता संग्राम के प्रखर और कर्मठ नेता थे पं. नारायणराव मेघावाले54
- संरक्षित जंगलों में असुरक्षित आदिवासी56
- शिवराज के बनाए रास्ते पर मोहन60
- SC, ST, and OBC welfare not a priority 62





बांग्लादेश के हालातों के बीच भारत की चिंता

बांग्लादेश में शुरू हुआ आरक्षण विरोधी आंदोलन अंततः इतना तीव्र हुआ कि देश में तख्तापलट हो गया। सेना ने सत्ता की कमान संभाल ली है और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। देश में अराजकता का माहौल है। अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। पड़ोसी देश के हालात दिनोंदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अभी भी वहां पर हालात अस्थिर हैं। बांग्लादेश में पिछले महीने शुरू हुए प्रदर्शन और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर काफी प्रहार किये जा रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के साथ ही हिंदुओं को निशाना बनाकर जानमाल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। धामिर स्थलों और हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। जिसकी वजह से वहां हिंदु दहशत में हैं। इन सारी घटनाओं को लेकर भारत चिंतित है। चिंतित होने की दो वजहें हैं- पहली यह कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश है और पिछले कुछ वर्षों से शेख हसीना सरकार से संबंध बेहतर रहे हैं। सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से बांग्लादेश की हमारे लिए अहमियत है। खासकर चीन को लेकर जो तनातनी चलती है उसमें बांग्लादेश बहुत उपयोगी देश साबित होता है। यही वजह है कि बांग्लादेश के मौजूदा बिगड़े हालातों से चीन खुश नजर आ रहा है। चीन इन हालातों से भारत को लेकर अपने हित साधते हुए देख रहा है। भारत की दूसरी चिंता वहां के हिंदुओं को लेकर है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में उपद्रवी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। देश में 01 करोड़ 31 लाख के करीब हिंदू हैं, उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। अराजक तत्व हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां रहने वाले करीब 07 प्रतिशत हिंदू इन दिनों खौफ के साये में हैं। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है। पहले भी हिंदुओं को यहां निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार हालात और भी अलग हैं। पलायन को मजबूर हैं।

आपको बता दें कि बांग्लादेश में बिगड़े हालातों की बात की जाये तो वह कुछ इस प्रकार है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां दी जाती थीं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविस सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच झड़पें शुरू हो गईं। हालात इतने बेकाबू हुए कि प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा।

बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए लगता है भारत की चिंता घुसपैठियों को लेकर होगी। क्योंकि बांग्लादेश की ज्यादातर सीमा भारत से मिलती है। और हजारों की संख्या में लोग भारत में शरण लेने के लिए सीमा पर पहुंच रहे हैं। भारत की समस्या है कि इन्हें कब तक शरण देने से रोका जा सकता है। जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं और इन पर ही बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं। यदि इनको शरण देते हैं तो देश के अंदर अराजकता तो फैलेगी ही साथ ही कई असामाजिक तत्व भी देश के अंदर घुस आर्यंगे। ऐसी स्थिति में भारत को आने वाले समय में बहुत ही सोच समझकर अपने कदम बढ़ाने होंगे। यह भी ख्याल रखना होगा कि भारत के कदम से यहां की शांति और सौहार्द भी न बिगड़ पाये।

विजया पाठक

केन्द्रीय बजट 2024

बजट से मोदी सरकार ने साधा सियासी गणित !



नई लोकसभा के गठन के बाद सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई थी। वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती हैं। हालाँकि, लोकसभा चुनाव के कारण इस साल दो बार बजट पेश हुआ। बता दें कि 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट [23 जुलाई को] पेश किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ है। संसद में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए वह सहयोगियों के भरोसे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनावों की राह भी बजट प्रस्तावों के जरिए ही आसान करनी है। उल्लेखनीय है कि इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। स्वाभाविक था कि चुनाव और अपने सहयोगियों को ध्यान में रखकर ही बजट का खाका तैयार किया गया है। क्योंकि बीजेपी 2024 में अपने दम पर सरकार बनाने में नाकामयाब रही है। जिसका असर बजट में देखने को मिला है। बजट में ऐसे कई प्रावधान किये हैं जिनसे लगता है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं सहयोगियों को नाराज नहीं करना चाहती है। बिहार और आंध्रप्रदेश को बजट में मिली प्राथमिकता इसकी मिशाल है। इसके अलावा आने वाले महीनों में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनका भी खास ख्याल रखा गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के लिए आने वाला समय किसी चुनौतियों से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को देश भी चलाना है और अपने सहयोगियों को भी नाराज नहीं करना है। जिसकी झलक हम आने वाले समय में देख सकते हैं। बजट को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि 2024 के परिणामों ने मोदी के हाथ बांध दिये हैं और विपक्ष की एकता और ताकत ने मोदी को कमजोर कर दिया है। जैसा हमने 2014 और 2019 में मोदी का जो रूप देखा था वह शायद अभी देखने को नहीं मिलेगा। बजट के माध्यम से भी मोदी सरकार ने देश को बताने की कोशिश की है कि सत्ता और शासन को चलाने के लिए शक्तिकी जरूरत होती है।

विजया पाठक

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का आमबजट पेश कर दिया है। बजट में मोदी सरकार ने आम आदमी को तो राहत नहीं के बराबर दी है लेकिन अपनी सरकार के सहयोगियों को जरूर खुश कर दिया है। बिहार और आंध्रप्रदेश को बजट में उम्मीद से ज्यादा दे दिया है। जिसकी कल्पना पहले से भी की जा रही थी। हुआ भी वैसा ही। लेकिन यहां सवाल उठता है कि देश का

**आम आदमी को
राहत नहीं
अपनों को साधने
का प्रयास**

बजट देश के हर नागरिक को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हर वर्ग, हर संप्रदाय और हर क्षेत्रों के लिए होता है। लेकिन सरकारें अक्सर अपने स्वार्थ और लाभ के लिए किसी खास को खुश करने के चक्कर में देश के आम लोगों को भूल जाती हैं, जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि इस बार उन्हें राहत मिलेगी। हम जानते हैं कि इस समय देश में मंहगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बहुत हावी हो गये हैं। जिनका सीधा संबंध




सरकारों से है। बजट में इन दोनों की मुद्दों पर कुछ खास फोकस नहीं किया गया है। देश का हर नागरिक इनसे परेशान है। लोगों के पास काम नहीं है, मंहगाई ने कमर तोड़ दी है। युवा बेरोजगारी के आलम में है। उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को चाहिए था कि वह इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर कुछ योजनाओं की घोषणा करती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया।

मंहगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दे बजट से गायब

बजट में सामाजिक आवश्यकताओं की अपेक्षा बड़े व्यवसायों को प्राथमिकता दी गई है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण व्यय के माध्यम से रोजगार सृजन के अवसरों की अनदेखी की गई है। भारत में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को लेकर अक्सर बहुत ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यह केंद्र सरकार की प्रकृति और इरादों का संकेत देता है, कम से कम आने वाले साल



आंध्र और बिहार को विशेष पैकेज देने से सरकारी खजाने पर 20-30 हजार करोड़ का बोझ



मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में दो राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया है। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक दल तेलुगू देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों राज्यों को दिए गए विशेष पैकेज से सरकारी खजाने पर 20 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में इस मद में 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन पूर्ण बजट में आवंटन 4 गुना बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा पूर्ण बहुमत से चूक गई थी और ऐसे में केंद्र में मोदी सरकार की स्थिरता के लिहाज से जदयू और तेदेपा महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। दोनों राज्यों ने बजट से पहले हुई बैठकों में अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की थी। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) और आंध्र प्रदेश में तेलुगू देसम पार्टी को खुश रखने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद देने का एलान किया है। साथ ही ये भी कहा है कि इसके आगे भी मदद दी जाएगी। इसके अलावा बिहार के लिए एयरपोर्ट्स, सड़कों और बिजली के प्रोजेक्ट लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बिहार में इन कामों के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय पैकेज में इन दो राज्यों को किए गए बड़े आवंटन को भाजपा की ओर से ये सुनिश्चित करने का प्रयास माना जा रहा है कि उसके सहयोगी संतुष्ट रहें। हालांकि, पूर्व में तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार दोनों ही विपक्षी समूहों का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने भाजपा का विरोध किया है।

के लिए, यह आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस साल का पूर्ण

बजट हमें इस बारे में क्या बताता है कि अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी

सरकार, जो अब सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर एक अल्पमत सरकार के रूप में



चन्द्रबाबू नायडू एवं नीतीश कुमार को बजट में मिला सहयोग और समर्थन का इनाम

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण समर्थन नहीं मिला है। इस बार मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैशाखियों पर टिकी है। इसलिए स्वाभाविक था कि बजट में उन्हें नाखुश नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि बजट 2024 में इन दोनों राज्यों को आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। इसकी उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। हालांकि दोनों राज्यों को विशेष पैकेज देने का विपक्ष ने विरोध जताया है। विपक्ष का कहना है कि यह भेदभाव पूर्ण कार्य है।

काम कर रही है, कैसे काम करेगी और अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएगी? सबसे पहले, सरकार को वर्षों तक इनकार करने के बाद आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा कि बेरोजगारी एक समस्या है। लेकिन मुश्किल यह है कि अब तक इसे नजरअंदाज करने के कारण सरकार तैयार नहीं है और इससे निपटने के लिए उसके पास कोई वास्तविक रणनीति नहीं है। रोजगार सृजन में ढहराव की चिंता को दूर

**बजट से सहयोगी
जरूर संतुष्ट हैं,
लेकिन विपक्ष ने
जताई है नाराजगी**

करने के लिए कम से कम इसके कारणों को पहचानना आवश्यक है। यह सरकार स्पष्ट रूप से ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, लेकिन इसके कारण काफी सीधे हैं। रोजगार चुनौती कम रोजगार सृजन भारतीय विकास अनुभव की एक पुरानी समस्या रही है, लेकिन पिछला दशक असाधारण रूप से खराब रहा है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के रोजगार में मुश्किल से ही वृद्धि हुई है और हाल ही में



बजट से किसानों में निराशा

बजट में किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि का ऐलान नहीं हुआ है। किसानों की एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की मांग भी नहीं मानी गई है। ये ऐसी लंबित मांगें थीं जो किसानों के लिए प्रमुख थीं लेकिन बजट में इनका प्रावधान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाएंगे, 01 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराएंगे सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6 प्रतिशत यानी 27 हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया। बजट बढ़ने या घटाने से किसानों की समस्या का हल नहीं होता है। हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। और इसकी 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। यदि इस बड़ी आबादी की जरूरतों और आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो देश का नागरिक खुशहाल कैसे हो सकता है।

दर्ज की गई महिलाओं के रोजगार में मामूली वृद्धि काफी हद तक 'पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक सहायकों' के कारण है, जो अब सभी दर्ज महिला 'श्रमिकों' का 37 प्रतिशत से अधिक हैं। पिछले दशक में अधिकांश श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी भी

**किसानों की आय दुगुना करने
और एमएसपी की गारंटी पर
बजट में प्रावधान नहीं**

स्थिर रही है और लगभग आधे के लिए तो इसमें गिरावट भी आई है। परिणामस्वरूप, बड़े पैमाने पर उपभोग दबा हुआ है और घरेलू बाजार में वृद्धि नहीं हुई है, जिससे एक दुष्चक्र बन गया है जो बदले में रोजगार सृजन को बाधित करता है। अपर्याप्त मांग अब



बजट में महंगाई से राहत नहीं

सीधे-सीधे तो नहीं। बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे महंगाई दर बढ़ने या घटने का दावा किया जा सकता है। इस समय खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जरूर बढ़ी हुई है लेकिन सामान्य मानसून के आसार दिख रहे हैं। इससे आने वाले समय में सरकार को खाद्य महंगाई दर को सीमित रखने में मदद मिलेगी। जितनी जरूरत की चीजें हैं, उन पर जीएसटी को कम किया जाना चाहिए था। गैस सिलेंडर के दाम में कमी किया जाना था। जो भी बुनियादी चीजें हैं, उनके दामों में गिरावट होना चाहिए थी। आमजन महंगाई से खासे परेशान हैं। बजट से उम्मीद जगाई जा रही थी कि इस बार के बजट में लोगों को इस बजट से महंगाई से राहत मिलेगी। लेकिन मोदी सरकार ने इस बजट में कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं किये जिससे लगता कि महंगाई से राहत मिल सकती है। खासकर पेट्रोल-डीजल से कर कम करके महंगाई से राहत मिल सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

निवेश पर बाध्यकारी बाधा है, जो 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 36 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 31 प्रतिशत से भी कम हो गई है। इस बीच, तकनीकी परिवर्तनों का मतलब है कि औपचारिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन,

इस बार फिर मिली
मध्यम वर्ग को
निराशा

निर्मित वस्तुओं और नई सेवाओं दोनों के लिए, कम और अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम रोजगार का बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं, लेकिन पिछले एक दशक में उन्हें लगातार इतने झटके लगे हैं। 2016 में



क्या ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जायेगी?

बजट में कुछ योजनाओं का जिक्र किया गया है। यहां सवाल उठता है कि क्या बजट में जो योजनाओं की बात कहीं कहीं कही गई है उससे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेड किया जाएगा। सरकार की योजना लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने की है। बजट में देश में एक हजार रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। इन केंद्रों में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें नौकरी/रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। सरकार ने 25 हजार युवाओं को Job Training देने का लक्ष्य रखा है। ईपीएफओ के तहत पहली बार नौकरी पाने वालों युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्हें एक महीने के वेतन का फायदा मिलेगा। एक लाख रुपये प्रतिमाह तक की सैलरी वाले ऐसे युवा जो पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड कर्मचारी बनेंगे, उन्हें 15000 रुपये तक की रकम दी जाएगी। ये रकम तीन किशतों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए दी जाएगी।

भारी नोटबंदी, 2017 में जीएसटी का गलत क्रियान्वयन, 2020 और 2021 में कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन, जिसमें लगभग कोई मुआवज़ा नहीं मिला। यह आश्चर्य की बात है कि इनमें से कोई भी बच पाया है। सार्वजनिक रोजगार भी स्थिर

अस्थायी रोजगार पर रहा फोकस युवाओं को भी हाथ लगी निराशा

हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में रिक्ति हैं और अनुबंध और आकस्मिक श्रमिकों पर अधिक निर्भरता है, जिनमें कई महिला 'योजना श्रमिक' भी शामिल हैं, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। परिणामस्वरूप स्वरोजगार काम के परिदृश्य



स्वास्थ्य का बजट कम कर आमजन को परेशानी में डाला

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रमुख योजनाओं की सूची से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा 02 प्रतिशत से भी कम रह गया है। नाममात्र के संदर्भ में स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय के कुल आवंटन में कुछ वृद्धि हुई है। वास्तविक रूप से यह 2020-21 में वास्तव में खर्च की गई राशि से 7.4 प्रतिशत कम है। इसका मतलब है कि 2020-21 में जो देखभाल प्रदान की जा सकती थी, वह अब सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, क्योंकि आवंटन में कमी आई है जबकि कीमतें आसमान छू रही हैं। इस बजट से आयुष्मान भारत योजना में बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करने और समाज के सबसे कमजोर तबके के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), पोषण संबंधी योजनाओं, स्वास्थ्य अनुसंधान में भारी कटौती की गई, जबकि कठिन समय में भी ये योजनाएं अच्छा काम कर रही थीं। हालांकि कैंसर की 03 अहम दवाओं पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है। यानी अब इन दवाओं के आयात पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।

पर हावी हो गया है। खेती लगातार अव्यवहारिक होती जा रही है, जिससे यह व्यवसाय के रूप में अनाकर्षक होता जा रहा है, लेकिन लोग खेती में बने रहते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास बहुत कम विकल्प हैं। अगर रोजगार की समस्या का

**स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण
महकमें पर रही
बजट में कटौती**

समाधान करना है तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे निपटना होगा। लेकिन बजट ने इन चिंताओं को बमुश्किल छुआ, और निश्चित रूप से उन्हें कम करने के लिए कुछ भी नहीं दिया। इसके बजाय, युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटे उपायों को रोजगार से जुड़े

केन्द्रीय बजट : एक नज़र में...



व्यय: सरकार ने 2023-24 में 45,03,097 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है जो कि 2022-23 के संशोधित अनुमान से 7.5 प्रतिशत अधिक है। 2022-23 में कुल व्यय बजट अनुमान से 6.1 प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है।

प्राप्तियां: 2023-24 में प्राप्तियां (उधारियों के अलावा) 27,16,281 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11.7 प्रतिशत अधिक है। 2022-23 में कुल प्राप्तियां (उधारियों के अलावा) बजट अनुमान से 6.5 प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है।

जीडीपी: सरकार ने 2023-24 में 10.5 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी (यानी, वास्तविक वृद्धि जमा मुद्रास्फीति) वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।

घाटा: 2023-24 में राजस्व घाटा जीडीपी के 2.9 प्रतिशत पर लक्षित है जो 2022-23 में 4.1 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है। 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत पर लक्षित किया गया है, जो 2022-23 में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है। जबकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संशोधित अनुमान बजट अनुमान के समान था, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, राजकोषीय घाटा 2022-23 में 94,123 करोड़ रुपए (5.7 प्रतिशत की वृद्धि) से अधिक था। 10,79,971 करोड़ रुपए का ब्याज व्यय राजस्व प्राप्तियों का 41 प्रतिशत होने का अनुमान है।

मंत्रालयों का आबंटन: 2023-24 में उच्चतम आबंटन वाले शीर्ष 13 मंत्रालयों में सबसे अधिक वृद्धि रेल मंत्रालय (49 प्रतिशत) में देखी गई, इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय (31 प्रतिशत), और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (25 प्रतिशत) का स्थान आता है।

प्रोत्साहन के रूप में प्रस्तावित किया गया था, मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और उनके नियोजकों के लिए।

तीन योजनाएं औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में नए भर्ती के लिए सीमित अवधि के लिए एक छोटी सब्सिडी प्रदान करेंगी, जो

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या पेंशन फंड को देय होगी।

कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर इस

बजट की खामियां और चुनौतियां



मोदी सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें जनधन योजना शामिल है। इसके साथ ही हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं खास हैं। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद- 370 हटाए जाने के बाद से वहां तेज़ी से विकास कराए जाने का दावा किया जाता है। लेकिन ऐसे कई बुनियादी खामियां भी देखने को मिल रही हैं जिनसे लगता है कि जो योजनाएं लागू की गई हैं या लागू की जानी हैं उनमें उस वर्ग को लाभ कम ही मिल रहा है जिनके लिए ये योजनाएं लागू की गई हैं। खास तौर से इन क्षेत्रों में-

आर्थिक सुधार: कुछ लोगों का मानना है कि मोदी सरकार की आर्थिक सुधार की नीतियां सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने में सफल नहीं रही हैं। वे दावा करते हैं कि नौकरियां बढ़ने की जगह बेरोज़गारी बढ़ रही है और आय वितरण में खाई गहरी होती जा रही है। अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ी है जबकि गरीबों की आय घटी है। नोटबंदी, काले धन को सिस्टम से ख़त्म करने का नाकाम और असफल कदम साबित हुई क्योंकि काला धन सिस्टम में उसी मात्रा में वापस आया जिस मात्रा में नोटबंदी से पहले मौजूद था।

किसानों से जुड़ी नीतियां: मोदी सरकार की कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ नीतियों पर भी विवाद देखा गया है। किसान आंदोलन के दौरान, किसान संगठनों की ओर से इन कृषि कानूनों पर विरोध दर्ज कराया गया था। उनका कहना था कि ये कानून उनकी आय कम करेंगे और कृषि व्यवसाय को बड़ी कंपनियों के हवाले करेंगे। मौजूदा बजट में भी किसानों की मांगों को लेकर कोई घोषणा या योजना लागू नहीं की गई है। यही कारण है कि किसान संगठन इस बजट से काफी निराश हैं। साथ ही किसानों को उम्मीद थी कि 2024 के बजट में मोदी सरकार किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कुछ योजना लेकर आयेगी लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

धार्मिक मुद्दे: कुछ लोगों के मुताबिक, मोदी सरकार के दौर में समाज में विभाजन बढ़ा है। चुनावों के दौरान हिंदू-मुस्लिम मुद्दों का सहारा लिया जाता है जिससे देश में विविधता और धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंची है।

नीति के लिए अपने ही घोषणापत्र की नकल करने का आरोप लगाया है, लेकिन जिसने

भी नकल की है, उसने उनकी प्रस्तावित योजना को पढ़ा या समझा नहीं है, क्योंकि

इस संस्करण में पैमाने और विषय-वस्तु दोनों का अभाव है। किसी भी मामले में, यह

केन्द्रीय बजट में मुस्लिमों को क्या मिला?



इस बजट में मुसलमानों के उत्थान और उनकी शिक्षा के लिए चल रही तमाम योजनाओं में कटौती की गई है। यह स्पष्ट है कि भाजपा के लिए मुसलमान का कोई मोल नहीं है। यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार के लिए मुसलमानों का कोई अस्तित्व नहीं है। देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है लेकिन पिछले 77 साल में पहली बार केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोदी सरकार ने 02 बौद्ध, 02 सिख और 01 ईसाई को अल्पसंख्यकों के नाम पर मंत्री के रूप में शामिल किया है। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के लिए 2022-23 बजट में 5,020 करोड़ आवंटित किए थे और 2023-24 में 385 की कटौती कर 3,097 करोड़ आवंटन किया था। इस बजट में सरकार ने मामूली रूप से बढ़ाकर इसे 3,183 करोड़ किया है, जो मात्र 2.75 की वृद्धि है। जिस धूमधाम से भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के बारे में अल्पसंख्यक मामलों की वेबसाइट पर घोषणा करती है, उसके हालात का अगर विश्लेषण करा जाए तो पता चलता है कि केंद्रीय योजनाओं के तहत अब लाखों अल्पसंख्यक छात्रों को कक्षा 11 और 12, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति पिछले वर्ष के बजट 1,065 करोड़ से महज़ 80 करोड़ बढ़ाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का अनुदान भी 61 करोड़ पर जस का तस है। आश्चर्य है कि मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों पर केंद्रित कौशल विकास और आजीविका योजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए सिर्फ 03 करोड़ का आवंटन है, जबकि पिछले साल यह आवंटन 64.4 करोड़ था। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भाजपा के लिए मुसलमानों की शिक्षा सबसे निचले पायदान पर है। इसके लिए 2023-24 में आवंटन 1,689 करोड़ था और अब 1,575 करोड़ है। यहां तक कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी 2023-24 में आवंटित 433 करोड़ रुपये की तुलना में घटाकर 326.2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

देश के सामने मौजूद भारी रोजगार चुनौती को संबोधित करने में बहुत कम कारगर

साबित होने वाला है। इस बजट से हम जो दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं,

वह यह है कि मोदी सरकार ने हाल ही में हुए चुनावी झटकों से कोई सबक नहीं सीखा है।

अनुमानों के भरोसे मोदी सरकार



हालिया वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल व्यय 48,20,512 करोड़ अनुमानित है। इसमें से कुल पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ है। वर्ष 2023-24 की तुलना में इस वर्ष का पूंजीगत व्यय 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। क्वेंटइको रिसर्च के अर्थशास्त्री और संस्थापक शुभदा राव कहते हैं, ये साफ है कि अब सरकार का फोकस रोजगार, छोटे व्यवसायों और सामाजिक कल्याण पर है। उनका कहना था, हालांकि लोगों की जेब में सीधे कैश नहीं गया है लेकिन टैक्स में थोड़ी बहुत हेरफेर से लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे बच सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि मार्च 2025 में खत्म हो रहे वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच रह सकती है। ये आंकड़ा पिछले साल के 8.2 प्रतिशत से कम है। यही नहीं वित्त मंत्रालय का ये अनुमान रिजर्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशिया डेवलपमेंट बैंक के अनुमान से भी कम है।

यह तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने पिछले दृष्टिकोण को जारी रखेगी। मौजूदा बजट में यह और भी स्पष्ट हो गया, जहां भाजपा को समर्थन देने वाले दो महत्वपूर्ण सहयोगियों को उनके अपने राज्यों, आंध्र प्रदेश और बिहार को बड़े राजकोषीय हस्तांतरण से पुरस्कृत किया गया। इस बीच, केंद्र

कुल केंद्र सरकार के खर्च में सभी हस्तांतरणों का हिस्सा 2022-23 में 22.1 प्रतिशत से गिरकर 2023-24 में 20.7 प्रतिशत रह गया।

कराधान को उपकरणों और अधिभारों की ओर मोड़ना जारी रखता है जिन्हें राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं करना पड़ता है। कुल केंद्र सरकार के खर्च में सभी हस्तांतरणों का हिस्सा 2022-23 में 22.1 प्रतिशत से गिरकर 2023-24 में 20.7 प्रतिशत रह गया।

इनका कहना है -

दीर्घावधि और अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाकर तथा इंडेक्सेशन के लाभों को हटाकर मध्य वर्ग को धोखा दिया गया है। सत्ताधारी पार्टी का मूल मतदाता रहा मध्य वर्ग अब इससे छिटकता जा रहा है। सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) को भी दोषपूर्ण है, जिसमें केवल शीर्ष 500 कंपनियों को ही शामिल किया गया है, जो बमुश्किल एक प्रतिशत श्रम बल को रोजगार देती हैं।

○ राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष

बजट केवल कुछ लोगों को खुश करने और कुर्सी बचाने के लिए तैयार किया गया था। दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों की प्लेटें खाली रहीं।

○ मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

आम तौर पर जब सरकार बजट पेश करती है... तो हम देखते हैं कि कुछ लोग निराश होते हैं और कुछ लोग इससे खुश होते हैं। यह पहली बार है कि सरकार ने इस तरह का अनोखा बजट पेश किया है, जिससे सभी लोग निराश हुए हैं।

○ राघव चड्ढा, सांसद, आम आदमी पार्टी

चुनाव प्रचार में वे जो कहते हैं, अपने घोषणापत्र में जो प्रस्ताव रखते हैं और अब बजट... आप हर जगह भेदभाव देख सकते हैं। वे उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिस राज्य ने उन्हें तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया है। केंद्रीय बजट निराशाओं से भरा है।

○ अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी

क्या हैं मोदी सरकार की अहम चुनौतियां?

विपक्षी एकता: विपक्षी एकता मोदी सरकार की एक बड़ी चुनौती बन सकती है। 2024 के परिणामों ने बीजेपी को कमजोर कर दिया है। कांग्रेस की जीत के बाद नरेंद्र मोदी को घरेलू मोर्चे पर फिर से एकजुट होने की कोशिश करते विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। एकजुट विपक्ष मोदी के लिए सबसे बड़ी समस्या बनने जा रहा है।

बढ़ती बेरोजगारी: बेरोजगारी मोदी सरकार की सबसे अहम चुनौतियों में से एक है क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार के सामने

वैश्विक स्तर पर आज भले ही भारत की स्थिति बेहतर बताई जा रही है लेकिन देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो कई बुनियादी जरूरतों से जूझ रहा है। आर्थिक असमानता के बीच झूलता यह समाज का वर्ग बजट से उम्मीद लगाये बैठा था कि शायद कोई प्रावधान कर इस वर्ग का भी ध्यान रखा जायेगा।

अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और करोड़ों बेरोजगारों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने की चुनौती है।

किसान संकट: भारतीय किसान कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने की जरूरत है।

आत्मनिर्भर भारत: प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के बीच 12 मई 2020 को देशवासियों से भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने का वादा किया था। उन्होंने आयात कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने की योजनाएं लाने की भी घोषणा की थी। लेकिन मोदी का यह लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञ मानते

हैं कि आत्मनिर्भर भारत मिशन भले ही अच्छा है लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनने में समय लगता है। आत्मनिर्भर भारत की पहल को हमारी आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं को कम करने के साथ ही हमारी घरेलू उत्पादन क्षमता को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

विदेश नीति की चुनौतियां: मोदी

बड़ी चुनौती: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय समाज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, उंची और निचली जातियों के बीच विभाजित हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मोदी का समाज को एकजुट करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वह हिंदुत्व द्वारा निर्देशित हैं जो अपने स्वभाव से मुस्लिम विरोधी भावना पर आधारित है। चूंकि उन्होंने देखा है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण एक जीत का फार्मूला है,

अभी भी प्रचलित है, जो आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधक है। मोदी सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने और नौकरशाही प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के उपायों को अपनाने की जरूरत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति : आरबीआई ने कहा कि भारत के चालू खाते के शेष में Q4FY24 में \$5.7 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत का अधिशेष दर्ज किया गया,



सरकार के लिए आने वाले सालों में चीन सहित कई सभी पड़ोसी देश भारत के लिए कड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश की घटना तो हमारे लिए बहुत कष्टदायक होने वाली है। वहीं पाकिस्तान और चीन भारत के लिए सिरदर्द बना रहेगा। अब तक सरकार ने भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर भारत के लोगों को केवल धोखा दिया है।

विभाजित समाज को जोड़ना एक

खासकर उनके अपने चुनावों के लिए। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाना: मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र पीछे जा रहा है और संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही: कई विदेशी निवेशक और देश तमाम व्यापारी आमतौर पर ये शिकायत करते हैं कि भ्रष्टाचार और लालफीताशाही भारत में

जबकि पिछली तिमाही में \$8.7 बिलियन (1 प्रतिशत) और एक साल पहले की अवधि में \$1.3 बिलियन (0.2 प्रतिशत) का घाटा हुआ था। पिछली बार खाते में अधिशेष Q1FY22 (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) में देखा गया था। Q424 में व्यापारिक व्यापार घाटा 50.9 बिलियन डॉलर था, जो एक साल पहले के 52.6 बिलियन डॉलर से कम था।


मध्यप्रदेश बजट 2024.....

बुनियादी मुद्दों पर सरकार की अनदेखी

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सदन में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। वर्ष 2024-25 के लिए 3.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जो 2023-24 के 3,14,025 करोड़ रुपये के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है। बजट भले ही सरकार ने बढ़ा बना दिया हो लेकिन आम आदमी को राहत देने वाले बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। खासकर मंहगाई, रोजगार जैसे विषयों पर बजट में कोई योजना नहीं लायी गई है। जबकि ये ऐसे विषय थे जिसको लेकर लोगों ने खासी उम्मीद लगाई थी। लोगों की सबसे बड़ी आस थी कि मोहन सरकार प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले कर से राहत देगी और मंहगाई से कुछ राहत मिल सकेगी। लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। निराशा ही हाथ लगी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के बाद भी पेट्रोल-डीजल पर कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। अब भी देश में सबसे मंहगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में ही बिक रहा है। हम आपको बता दें कि देश के अंदर सबसे मंहगा पेट्रोल-डीजल मिल रहा है। इस बात को लेकर विपक्ष भी हमेशा सरकार पर हमलावर रहता है। दूसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या भी विकराल होती जा रही है। वैसे तो बजट में कई बातों का जिक्र किया



मंहगाई, रोजगार जैसे विषयों पर बजट में कोई योजना नहीं लायी गई है। जबकि ये ऐसे विषय थे जिसको लेकर लोगों ने खासी उम्मीद लगाई थी। लोगों की सबसे बड़ी आस थी कि मोहन सरकार प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले कर से राहत देगी और मंहगाई से कुछ राहत मिल सकेगी। लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया।



बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने जगत विजन पत्रिका में प्रकाशित नर्सिंग घोटाले की प्रतियां लहराकर बताया कि प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ है।



इनका कहना है-

यह जनता से विश्वासघात वाला बजट है। चुनाव से पहले मतदाताओं से किए वादे वित्तमंत्री के बजट भाषण से गायब दिखाई दिए। यह सरकार जनविरोधी है। इस बजट से एमपी की जनता को भारी निराशा हुई है। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।

कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, मप्र

गया है लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है।

नर्सिंग घोटाले को लेकर विश्वास सारंग को घेरा

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। उनकी मांग थी कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले के लिए तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त किया जाए। इस एकसूत्री मांग के साथ विधायकों ने आसंदी के पास आकर नारेबाजी की और बजट भाषण में व्यवधान डालने की कोशिश की।

आपको बता दें कि प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर जगत विजन पत्रिका ने एक बड़ी आवरण कथा प्रकाशित की है। विधानसभा में भी पत्रिका की प्रतियों को लहराकर सरकार के साथ मंत्री विश्वास सारंग को घेरा गया है। कांग्रेस के कई विधायक पत्रिका की प्रतियों को लहरा रहे थे।

कर्मचारियों को हाथ लगी निराशा

बजट को लेकर सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। प्रदेश सरकार ने बजट में कर्मचारियों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। कर्मचारियों को निशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान योजना में लाभ, मकान भाड़ा, वृत्ति कर समाप्ति, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत मिलने की उम्मीद की जा रही थी। सरकार ने कर्मचारियों के सरकारी आवास को लेकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार मौन

रोजगार के अभाव में ग्रामीणों को पलायन करना पड़ रहा है। अपना गांव-घर-परिवार छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पड़ रहा है। कई जिलों में यह समस्या है। रोजगार के लिए पलायन की मजबूरी कब तक रहेगी। प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी पीड़ा है कि रोजगार को लेकर सरकारी स्तर पर दावे तो खूब किए जाते हैं लेकिन हर बार बजट में निराशा झलकती है। हर बार की तरह इस मर्तबा भी बजट को लेकर वे काफी आस लगाए बैठे थे कि युवाओं के लिए किस्मत बदलने वाला बजट होगा। लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है।

बजट में उज्जैन पर पूरा फोकस

मप्र बजट 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन पर बहुत फोकस किया गया है। सिंहस्थ- 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में बायपास के साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को

म.प्र. बजट : एक नजर में...

- ◆ शिक्षा पर 11 प्रतिशत बजट खर्च करने का ऐलान, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कई नए संस्थान खोलने का भी ऐलान, मंदसौर, नीमच व सिवनी जिले में 03 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
- ◆ लाडली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ रुपये आवंटित।
- ◆ शिक्षा के क्षेत्र में 22 हजार 600 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए 15,509 करोड़ रुपये और मध्य विद्यालयों के लिए 9,258 करोड़ रुपये निर्धारित, कृषि क्षेत्र का आवंटन पिछले वित्त वर्ष के 22,732 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 26,126 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- ◆ स्वास्थ्य विभाग में 46 हजार और पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां निकालने का भी प्रावधान।
- ◆ अगले पांच साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किमी के विन्ध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किमी का मालवा-निमाड़ विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ बनाया जाएगा।
- ◆ संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपये रखे हैं। यह 2023-24 के मुकाबले 250 प्रतिशत अधिक है।
- ◆ कृषि क्षेत्र का बजट 15 प्रतिशत, स्वास्थ्य के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा में चार प्रतिशत, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों की योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 9 प्रतिशत, नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए 13 प्रतिशत, संस्कृति संवर्धन के लिए 35 प्रतिशत, रोजगार के लिए 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
- ◆ अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृहों में 660-660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण होगा।

चार लेन अथवा आठ लेन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में चना, तो ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। पीएम ई-बस योजना के अन्तर्गत उज्जैन में भारत सरकार की सहायता से ई-बसों का संचालन, चना अनुसंधान संस्थान की स्थापना, सिटीज 2.0 प्रतिस्पर्धा में चयन किया गया है, उज्जैन

को अगले 3 सालों में 135 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। 450 किलोमीटर का मालवा-निमाड़ विकास पथ एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से बनवाया जायेगा। इसके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ बजट 2024.....

सीमित संसाधनों से सबको साधने का प्रयास

हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ देश का छोटे प्रदेशों में गिने जाने वाला प्रदेश है। इस प्रदेश का अपना एक आर्थिक साम्राज्य है। खनिज संपदा से भरपूर यह राज्य पिछले कुछ वर्षों से विकास की नई तस्वीरें खींच रहा है। स्वयं से संसाधनों से राज्य ने अपने आप को खड़ा किया है। छोटा प्रदेश होने के नाते इसकी अपनी जरूरतें भी छोटी हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का बजट एक लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपए का है। नई सरकार ने इस बजट के जरिए विकास का खाका खींचा है। इसके साथ ही हर योजना के लिए अलग-अलग बजट अलोकेट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रूपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हमारे किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस रीढ़ को मजबूती देने के लिए सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित



होंगे।

क्या है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ?

जीएसडीपी: 2022-23 में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी (स्थिर कीमतों पर) 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि 2021-22

में यह 8 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में 2022-23 में राष्ट्रीय जीडीपी 7.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

क्षेत्र: कृषि क्षेत्र (स्थिर कीमतों पर) में 2022-23 में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि के

साथ 2021-22 में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 2022-23 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2021-22 में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2022-23 में सेवाओं में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 2022-23 में इसमें 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2022-23 में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में क्रमशः 28 प्रतिशत, 39 प्रतिशत और 33 प्रतिशत योगदान देने का अनुमान है (मौजूदा कीमतों पर)।

प्रति व्यक्ति जीएसडीपी: 2022-23 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (मौजूदा कीमतों पर) 1,52,348 रूपए होने का अनुमान है। 2017-18 की तुलना में इसमें 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है।

खाद्य सुरक्षा: मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3,400 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

बिजली सबसिडी: पांच हॉर्सपॉवर तक के कृषि पंपों के लिए 7,500 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने हेतु 3,500 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। हाफ बिजली बिल योजना के तहत 43.3 लाख घरों को 400 यूनिट तक सबसिडी वाली बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए 1,274 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

स्वास्थ्य: शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 लाख रूपए तक और गरीबी रेखा से उपर वाले परिवारों को 50,000 रूपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 1,526 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान।

मजदूरों को सहायता: लाभार्थियों को 10,000 रूपए की वार्षिक सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना शुरू की जाएगी।

छग बजट के मुख्य अंश

◆ 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 5,61,736 करोड़ रूपए होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 11 प्रतिशत अधिक है।

◆ 2024-25 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 1,47,440 करोड़ रूपए होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान के समान है। 2023-24 के संशोधित चरण में बजटीय राशि से व्यय में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य को 2024-25 में 9,360 करोड़ रूपए का कर्ज चुकाने का अनुमान है।

◆ 2024-25 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 1,26,050 करोड़ रूपए होने का अनुमान है जिसमें 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि है।

◆ 2024-25 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.2 प्रतिशत (1,060 करोड़ रूपए) होने का अनुमान है। 2023-24 में राज्य ने संशोधित चरण में 15,670 करोड़ रूपए (जीएसडीपी का 3.1 प्रतिशत) के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया था। 2023-24 में, बजट स्तर पर, राज्य ने 3,500 करोड़ रूपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया था।

◆ 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.2 प्रतिशत (17,990 करोड़ रूपए) पर लक्षित है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत होने का बजट रखा गया था। हालांकि, संशोधित चरण में, यह बढ़कर जीएसडीपी का 6.5 प्रतिशत (33,062 करोड़ रूपए) हो गया।

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 लाख रूपए तक और गरीबी रेखा से उपर वाले परिवारों को 50,000 रूपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 1,526 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान।

इसके लिए 500 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

18 लाख घरों का होगा निर्माण

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 8,369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विष्णु सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में जल जीवन मिशन के

तहत 4,500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। वहीं, प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए महिलाओं और बच्चों का बेहतर पोषण और विकास के लिए इस बार बजट में 112 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में 5683 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा

छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास के बजट में

साथ ही आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में राज्यांश के रूप में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया।

आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने और सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों के लिए राज्य मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक उन्नत

पए सहायता का प्रावधान किया है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं को 12000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार हर महीने 1000 रु पए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है।

कृषि बजट में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी



15.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। स्कूली शिक्षा के लिए 21,489 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 1,333 करोड़ और कौशल विकास के लिए 690 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

डिजिटल तकनीकों और आईटी इनेबल्ड सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 266 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

महतारी वंदन योजना

विष्णु सरकार के इस बजट में महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रु

कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रूपये का प्रावधान हुआ है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

नक्सल प्रभावित जिलों में कारगर साबित हो रही है नियद नेल्लानार योजना मुख्यधारा में लौट रहे नक्सली, 375 ने किया आत्मसमर्पण



समता पाठक

छत्तीसगढ़ राज्य जहां 33 जिलों में से 10 जिले गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से हर सरकार चाहे वह कांग्रेस की हो या भाजपा की नक्सलवाद सबके सामने सिरसा के मुंह जैसी समस्या बनकर खड़ा रहा है। हर सरकार में अपनी तरह से नक्सलवाद की समस्या से निपटने की कोशिशें की हैं। राज्य की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार भी नक्सलवाद से

छत्तीसगढ़ राज्य में करीब छः माह पहले लागू हुई नियद नेल्लानार योजना यानि कि आपका अच्छा गांव योजना पूरे देश में मिशाल बनने जा रही है। इस योजना के लागू होने के कुछ महिनो में ही इसके सफल परिणाम दिखने शुरू हो गये हैं।

निपटने के लिए प्रयासरत है। कई योजनाओं को लागू कर नक्सलवादियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें कर रही है साथ ही उनकी समस्याओं को दूर कर रही है। इसी के महत छत्तीसगढ़ राज्य में करीब छः माह पहले लागू हुई नियद नेल्लानार योजना यानि कि आपका अच्छा गांव योजना पूरे देश में मिशाल बनने जा रही है। इस योजना के लागू होने के कुछ महिनो में ही इसके सफल परिणाम दिखने शुरूहो गये हैं। सन 2005 में महेन्द्र कर्मा और तत्कालीन सरकार ने

सामूहिक रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सलवा जुद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। सलवा जुद्ध जिसका अर्थ होता है शांति मार्च। सलवा जुद्ध एक मिलिशिया था। यानि कि रक्षक योद्धाओं का एक समूह जो कि नक्सलवाद के खिलाफ हथियारबंद कार्यवाही के लिए सतत अग्रसर था। सलवा जुद्ध का उद्देश्य नक्सली गतिविधियों का मुकाबला करना था। स्थानीय आदिवासी

भी अभियान किसी कानून और व्यवस्था को ताक पर रखकर नहीं चलाया जा सकता। किसी भी नागरिक को आप हथियार देकर किसी की हत्या करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। किसी भी स्थिति में संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यकीनन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश ने देश में प्रजातंत्र को और मजबूत किया है। इतिहास

की कवायद में थे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने हेतु अग्रसर है। इस योजना के अंतर्गत 14 नये शिविरों की पांच किमी की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।



युवाओं से मिलकर बना इस मिलिशिया को तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से समर्थन और प्रशिक्षण दोनों प्राप्त था। परंतु कुछ समय पश्चात इस सलवा जुद्ध अभियान पर प्रश्न उठने लगे और सन 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने मिलिशिया यानि कि सलवा जुद्ध को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसे भंग करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सलवा जुद्ध पर रोक लगाते हुए यह कहा कि कोई

भी इस बात का गवाह है कि हथियार सिर्फ बदला लेते हैं बदलाव नहीं लाते। हालांकि सलवा जुद्ध की विचारधारा और सोच नक्सलवाद को रोक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की थी। इस अभियान को शुरू आती दौर में बड़ी सफलता भी मिली। यहां तक कि छत्तीसगढ़ राज्य से सटे झारखंड और उड़ीसा राज्य भी अपने नक्सली क्षेत्रों में सलवा जुद्ध जैसे अभियान को शुरू करने

साथ ही इन गांव के ग्रामीणों को सरकार की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा।

अब हम यहां कह सकते हैं कि नियम नेल्लानार योजना छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनने की ओर पहला कदम है। यकीनन यह योजना नक्सली क्षेत्रों की तस्वीर बदलकर आदिवासियों को ना सिर्फ मुख्य धारा में लाने का काम करेगी बल्कि उनके विकास की नई इबारत भी लिखेगी।

साथ सरकार की पहल पर बस्तर के 50 गांवों में अब नक्सली बैनर-पोस्टर भी नहीं दिखते हैं, नए पंचायत भवन हुए तैयार

छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली गतिविधियों के लिए अति संवेदनशील माने जाने वाले बोदली गांव में नक्सली हलचल खत्म हो गई है। अब यहां नक्सली पोस्टर-बैनर भी नहीं दिखते। कई महीने से गांव में नक्सली गतिविधि नहीं दिखी। इसके लिए न

तहत घर-घर पानी पहुंचा रहे। अधूरी पड़ी पुलिया का निर्माण कराया गया। इससे गांव शहर से जुड़ गया। गांव के शहर से जुड़ने और गांव में मूलभूत सुविधाओं के पहुंचने से नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगी।

आपका अच्छा गांव मुहिम ने बदली तस्वीर

गांव के सोमारू बताते हैं कि पहले पुलिस कैंप से ही सारी सुविधाएं मिलती थीं। नक्सली आते थे तो गांव के पिछड़ेपन की

कहानी बताकर युवाओं, महिलाओं और बच्चों को बरगलाते थे। अब गांव में मूलभूत सुविधाओं के आने से नक्सलियों का गांव में आना-जाना भी लगभग बंद हो गया है।

नक्सलवाद की जड़ें कमजोर हुईं

जिन गांवों में अभियान चल रहा है, वहां नक्सली जड़ें कमजोर हो गई हैं, लोगों का सरकार के प्रति नजरिया बदल गया है बोदली अकेला गांव नहीं है, जहां विकास



कोई मुठभेड़ हुई और न किसी का सरेंडर कराया गया है। दरअसल, करीब 5 माह पहले गांव में नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) अभियान शुरू हुआ। इसके तहत सबसे पहले गांव की बंद पड़ी राशन दुकान खुलवा दी गई। इसमें अनाज और दूसरी जरूरी चीजों का भंडारण किया गया। फिर नया पंचायत भवन बना। अस्पताल और प्राइमरी स्कूल खोले गए। नल-जल के

छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली गतिविधियों के लिए अति संवेदनशील माने जाने वाले बोदली गांव में नक्सली हलचल खत्म हो गई है। अब यहां नक्सली पोस्टर-बैनर भी नहीं दिखते। कई महीने से गांव में नक्सली गतिविधि नहीं दिखी।

होने से नक्सलवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं। बस्तर संभाग के 50 गांवों में विकास के जरिए नक्सली गतिविधियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं

इन 50 गांवों में नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत चुने गए गांवों में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ मुफ्त



बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। गांवों को सड़कों के जरिए शहरों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले के उन गांवों को योजना के अंतर्गत लाया गया है, जो गांव पुलिस कैंप से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं। यहां पुलिस कैंप खोलने के बाद भी लोग प्रशासन और सरकार से नहीं जुड़ रहे थे। हालांकि सारी सुविधाएं इन कैंपों के जरिए ही लोगों को मिल रही थीं। इसलिए लोगों को विकास के रास्ते जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है।

छत्तीसगढ़ में 375 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पांच महीने से बस्तर में सुरक्षा बलों का हौसला लगातार बुलंद है और एक के बाद एक सुरक्षा बलों व नक्सलियों के बीच हो

रही मुठभेड़ में नक्सली मुंह की खा रहे हैं। पांच महीने के भीतर 120 नक्सली ढेर हो चुके हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार ने

तीन वर्ष के भीतर नक्सलियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोडमैप पर साय सरकार आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह का रोडमैप है कि नक्सलियों के आर्थिक स्रोतों की पूरी तरह नाकेबंदी कर उन्हें मिलने वाले फंड को रोकना जाए। इसका असर भी शुरू हो गया है।

जिस तरह मोर्चा खोला है, उससे नक्सली बैकफुट पर हैं। यही कारण है कि वह हथियार छोड़ रहे हैं। बस्तर में 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 375 ने आत्मसमर्पण

किया। तीन वर्ष के भीतर नक्सलियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोडमैप पर साय सरकार आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह का रोडमैप है कि नक्सलियों के आर्थिक स्रोतों की पूरी तरह नाकेबंदी कर उन्हें मिलने वाले फंड को रोकना जाए। इसका असर भी शुरू हो गया है। साथ ही नक्सलियों को मिलने वाले हथियारों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

पहली बार नक्सलियों से भी सरकार ने मांगा सुझाव

नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह खून-खराबा नहीं चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री ने ईमेल और गूगल फार्म जारी करके आम जन और नक्सलियों से भी उनके आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास नीति के लिए सुझाव मांगा है।

भारत में क्यों आती हैं बाढ़, बारिश और तबाही?



विजया पाठक

प्रत्येक वर्ष भारत बाढ़ से तबाह होता है। बाढ़ की तबाही से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही हजारों की संख्या में मौत के मुंह में समा जाते हैं। इस वर्ष भी आधा देश बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बाढ़

बारिश से कहर बरपाया हुआ है। भारत के तमाम इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बरसात हो रही है। बारिश की वजह से उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य इलाकों में नदियां उफान पर आई हुई हैं। नदियों के आसपास के कई इलाके जहां पानी में डूब चुके हैं वहीं कई बड़े शहरों में जलजमाव

देखने को मिल रहा है। हालात इस कदर खराब हुए हैं कि आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। निजी संपत्ति से लेकर सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। केरल इस समय पिछले 94 साल में आए सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। बाढ़ की वजह से अब तक करीब 19,512 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। केरल

में अब तक की सबसे भयानक बाढ़ 1924 में आई थी। तब राज्य में रिकॉर्ड 3,368 मिमी. बारिश हुई थी। तीन हफ्ते तक लगातार हुई बारिश ने पूरे राज्य को डूबो कर रख दिया था। जानकारी के मुताबिक, उस समय करीब 1,000 लोगों की मौत हुई थी। राज्य के 14 में से 12 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह से आठ अगस्त से अब तक 194 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 36 लोग लापता हैं। 3,14,391 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 39, आर्मी की 16 और नेवी की 42 टीमों राहत-बचाव कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ अब तक 4,000 लोगों को बचा चुकी है, जबकि नेवी ने 550 लोगों को बचाया है। एक सरकारी अनुमान के मुताबिक, बाढ़ के कारण करीब सवा तीन लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है और ये लोग राज्य में बनाये गए 2000 से

भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र

भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ या तो तटीय इलाकों में आती है या फिर नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से। भारत में प्रमुख बाढ़ क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी बिहार, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिणी गुजरात के साथ साथ गंगा के मैदानी इलाकों के हिस्से हैं। दक्षिण भारत की तुलना में नदियों की वजह से उत्तर भारत में कहीं ज्यादा बाढ़ आती है। भारत में आने वाली बाढ़ को हम गंगा बेसिन, मध्य भारत एवं दक्कन नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बांट सकते हैं। इसके अलावा तटीय इलाकों में चक्रवात और सुनामी की स्थिति की वजह से भी कई बार बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

अधिक अस्थायी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। केरल में बाढ़ की वजह से जो

इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो पश्चिमी घाट के इकोलॉजिकल सेंसिटिव





जलवायु परिवर्तन अप्रत्याशित मौसम को बढ़ावा दे सकता है। इसके चलते ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, जो स्थानीय लोगों को सकंते में डाल सकती हैं। बीते 30 जुलाई को केरल के वायनाड जिले में हुआ विनाशकारी भूस्खलन जरूरी नहीं कि इसी किस्म की आपदा की श्रेणी में हो। केरल के कुछ हिस्से दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भारी बारिश का कहर झेल रहे हैं और भूस्खलन सालाना होने वाला एक मामला है। लेकिन घातक भूस्खलन की घटनाएं नई हैं। इस हफ्ते, भारी बारिश की वजह से हुए कई भूस्खलनों में 300 लोगों की मौत हो गई और कुछ गांव बर्बाद हो गए। यह इलाका एक पर्यटन स्थल है और राजस्व की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए यहां बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहां चलियार नदी लगभग दो किलोमीटर की उंचाई से निकलती है और वेल्लारमाला की ओर एक सीधे रास्ते में बहती है, जिससे तेज रफ्तार से पानी आता है जो अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में तलछट को नीचे की ओर ले जाता है। इस साल की बारिश ने इस नदी में पानी की मात्रा एवं उसके वेग को और बढ़ा दिया, जिससे मलबा बहकर अपेक्षाकृत कम खड़ी ढलान वाली जमीन पर बसे उन गांवों में जमा हो गया, जहां से कई लोगों की मौत की सूचना मिली है। लेकिन यह त्रासदी इस तथ्य से और भी जटिल हो गई है कि 2020 में यहां भारी बारिश की वजह से चलियार ने अपने उपरी इलाकों के पौधों के आवरण को नष्ट कर दिया, जिससे ज्यादा मात्रा में चट्टानें और खाद-मिट्टी (ह्यूमस) विनाश की चपेट में आ गए।

जोन के अंतर्गत आते हैं। इस बीच भारत के गृह मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल मानसून शुरू होने के बाद से

लेकर अब तक भारत के विभिन्न हिस्सों में 930 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य

माना जाता है। बिहार सरकार के अनुसार, राज्य के 76 प्रतिशत लोग बाढ़-आवर्तित क्षेत्र में रहते हैं। डेटा के मुताबिक, बिहार का 73



भूस्खलन की आशंका वाले इडुक्की, कोट्टायम, मलप्पुरम और वायनाड इलाके की भौगोलिक विशिष्टताएं सालों से स्पष्ट हैं। ये इलाके भूस्खलन के जोखिम से संबंधित मानचित्रों में भी प्रमुखता से नजर आते हैं। लिहाजा भूस्खलन की घातक पुनरावृत्ति के लिए जलवायु परिवर्तन और उस राज्य को दोषी ठहराया जाना चाहिए जिसे बार-बार सतर्क किया गया है। बार-बार सामने आने वाली एक समस्या अग्रिम चेतावनी और आपातकालीन तैयारियों की घोर कमी की नतीजा है। पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) के लिहाज से नाजुक क्षेत्रों में भूस्खलन ज्यादा आम है। मानसून के दौरान कम समय में तेज़ बारिश हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ किस्म की मिट्टी को उत्खनन के दौरान उखाड़ना आसान हो गया है। रैखिक बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण गतिविधियों और एकल फसल वाली खेती (मोनोक्रापिंग) ने बदलती प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने की पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) की क्षमता को कमजोर किया है। इन वजहों से, भूमि के इस्तेमाल के पैटर्न में बदलाव नहीं होना चाहिए और राज्य को बर्बाद हो चुकी वनस्पतियों को बहाल करना चाहिए तथा इन इलाकों के लोगों का पुनर्वास करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके कल्याण के अन्य अवसर उपलब्ध हैं। जैसा कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है, केरल को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और उनके आसपास इंजीनियरिंग की विभिन्न परियोजनाओं को भी कम करना चाहिए और यहां अन्य परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श करने वाली विशेषज्ञ समितियों का गठन करके उन्हें कर्मचारियों से लैस करते हुए सशक्त बनाना चाहिए। दरअसल, इस समिति की सिफारिशों आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाए बिना अप्रत्याशित मौसम के प्रभावों को कम करने के लिहाज से तैयार की गई हैं, लेकिन आज केरल पर्यावरणीय चिंताओं के साथ विकास की जरूरतों को संतुलित करने के विकल्प के मामले में पिछड़ रहा है।

प्रतिशत क्षेत्र लगभग 68800 वर्ग किमी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। उसके बाद उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है।

भारत में बाढ़ प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित करती है और फसलों, घरों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं

की क्षति के रूप में 1,805 करोड़ रूपए मूल्य की हानि का कारण बनती है। देश में बाढ़ से हर साल तबाही होती है और इस बाढ़



उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर

उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके गंगोत्री में गंगा भागीरथी का रौद्र रूप देखने को मिला। भागीरथ शीला, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर सहित आश्रम और स्नान घाट जलमग्न हो गए। चमोली में हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अचानक पहाड़ी टूटने से अफरातफरी मच रही है।

से जानमाल का नुकसान होता है। देश में कम से कम दस ऐसे क्षेत्र हैं, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का आना लगभग तय माना जाता है लेकिन अगर बाढ़ के कारण सारे देश में हाहाकार मचा हो तो इन क्षेत्रों में मौसमी विनाश की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। पिछले कुछ दशकों के दौरान मध्य भारत जैसे क्षेत्र में भी लोग मूसलाधार बारिश और एकाएक बड़ी मात्रा में बारिश होने, बादल

फटने की घटनाओं से सामना करने लगे हैं। देश में ज्यादातर नदी के किनारों और नदियों के डेल्टाओं में बाढ़ भारी कहर बरपाती है।

भारत तीन ओर से समुद्रों (अरब सागर, हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी) से घिरा है। इस कारण यह देश बाढ़ की विभीषिका को लेकर संवेदनशील है और समूचे देश में ऐसे इलाके हैं, जो कि हर वर्ष बाढ़ का सामना करते हैं। देश में ऐसे कुल

इलाकों की संख्या 12.5 प्रतिशत है।

देश में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालत हैं तो दूसरी ओर मध्य-पूर्वी चीन में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। कई शहर जलमग्न हो गए हैं। देश में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कई हिस्से जलमग्न हैं। नदियां उफान पर हैं और डैम



बाढ़-बारिश से मध्यप्रदेश में कोहराम

देश के साथ मध्यप्रदेश भी बाढ़ बारिश से अछूता नहीं रहा। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मची हुई है। नर्मदा, चंबल, ताप्ती जैसे बड़ी नदियां उफान पर हैं तो दूसरी ओर कई जगहों पर संपर्क टूट गया है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा-सिरोंज नेशनल हाईवे पर घुरेल जोड़ से टोंका के रास्ते गुजर रही घोड़ा पछाड़ नदी उफान पर, शाजापुर में चिल्लर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया।

फुल हो चुके हैं। सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश का कहर शुरू हो गया। असम के 30 जिले विनाशकारी बाढ़ की चपेट में हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 150 सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश और

बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। यहां की नदियां उफान पर हैं, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात यहां तक आ गए हैं कि राज्य के 30 जिलों में करीब 24.5 लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं।

इन राज्यों में होता है बाढ़ का अधिक असर: भारत में बंगाल, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब

ऐसे राज्य हैं जिनमें बाढ़ का ज्यादा असर होता है। इस वर्ष तो सूखे के लिए जाना जाने वाला राजस्थान भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। मानसून की होने वाली बहुत अधिक बरसात दक्षिण पश्चिम भारत की नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कोसी आदि बाढ़ के साथ इन प्रदेशों के किनारे बसी बहुत बड़ी आबादी के लिए खतरे और विनाश का पर्याय बन जाते हैं। इन सभी



बाढ़: कारण एवं नुकसान

बाढ़ बारंबार आने वाली ऐसी आपदा है जिससे लोगों के जीवन की भारी हानि होती है तथा इसके कारण आजीविका तंत्रों, संपत्ति, आधारदांचों तथा जन-सुविधाओं को काफी क्षति पहुँचती है। यह चिंता का एक कारण है कि बाढ़ संबंधित क्षतियों में बढोतरी का रुझान देखा गया है। शहर के आधे से अधिक निवासी सड़कों पर जलजमाव के कारण परेशान हैं। इससे नागरिकों के समय, उर्जा और उत्पादकता की भी बर्बादी होती है। एक नए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है। सड़कों पर जलभराव के कारण ना सिर्फ काम के घंटों का नुकसान होता है, बल्कि संपत्तियों की हानि, ट्रैफिक समय में इजाफा और दुर्घटनाएं भी होती हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि शहरी परिदृश्य, जिसमें देश भर के सभी स्तरों के शहर शामिल हैं, को जलभराव और बाढ़ की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारी बारिश के बाद प्रमुख शहरों में जलभराव का यह एक सामान्य बात है। लेकिन शहरी परिदृश्य का जलभराव और बाढ़ प्रमुख शहरों से परे है। यह लगभग हर स्तर के शहरों को झेलना पड़ता है। विशेषज्ञ ने शहरों में जलभराव और बाढ़ के लिए जिन कारणों का हवाला दिया है, उनमें निर्माण क्षेत्रों में वृद्धि, पानी को एकत्र करने या मिट्टी को इसे सोखने देने का प्रावधान करने में विफलता, जल प्रबंधन की कमी, और जल निकासी के मार्ग में बाधा प्रमुख है। जलभराव के कारण शहर के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक में अधिक समय बिताना है। इसके बाद वाहन टूट-फूट से संबंधित खर्च, दुर्घटनाओं का जोखिम और काम के घंटों का नुकसान होना है।

बड़ी नदियों के आसपास या किनारों पर बसे शहर, गांव और कस्बे इसका सबसे ज्यादा शिकार बन जाते हैं।

इन नदियों में आता है बाढ़ का पानी:
देश में रावी, यमुना-साहिबी, गंडक,

सतलज, गंगा, घग्गर, कोसी तीस्ता, ब्रह्मपुत्र महानदी, महानंदा, दामोदर, गोदावरी, मयूराक्षी, साबरमती, नर्मदा और इनकी सहायक नदियों में पानी किनारों को छोड़-छोड़कर बड़ी दूर तक पानी फैल जाता है।

राज्य के राज्यवार बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों को समझा जा सकता है। ज्यादातर राज्यों में बाढ़ प्रवृत्त इलाका भी इस प्रकार है।

विभिन्न राज्यों के बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों का इलाका ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उत्तरप्रदेश



बाढ़ मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है

तटीय बाढ़- चक्रवात, सुनामी या समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण होने वाले ज्वार-भाटा की वजह से इस प्रकार की बाढ़ आती है। तटीय बाढ़ के कारण होने वाला विनाश कई बार बहुत ज्यादा होता है।

फ्लैश या अचानक आई बाढ़- अचानक और भारी वर्षा की वजह से जब बाढ़ आती है तो उसे 'फ्लैश फ्लड' या अचानक आई बाढ़ कहते हैं। ऐसी स्थिति बादल फटने के कारण पैदा होती है। इस तरह की बाढ़ ज्यादा देर तक नहीं टिकती, लेकिन कई बार भारी तबाही का कारण बन जाती है।

शहरी बाढ़- बाढ़ जैसी आपदा सिर्फ प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण नहीं आती, बल्कि कई बार मैनेजमेंट की कमी भी इसकी वजह बनती है। शहरों में कई बार नाले आदि का सही से रखरखाव न होने की वजह से पानी इकट्ठा होता जाता है और बाढ़ का कारण बनता है।

भूजल बाढ़- इस प्रकार की बाढ़ आने में समय लेती है क्योंकि ऐसी स्थिति लंबे समय तक भारी वर्षा होने की वजह से पैदा होती है। लंबे समय तक बारिश होने की वजह से जमीन पानी को सोख नहीं पाती और भूमिगत जल का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। बाढ़ की ऐसी स्थिति में पानी हफ्तों और कई बार महीनों तक टिका रह सकता है।

नदियों में बाढ़- दुनिया के ज्यादातर हिस्से आमतौर पर नदियों में आई बाढ़ से ही प्रभावित होते हैं। लंबे समय तक पानी बरसने की वजह से नदियों और झीलों के तटबंध टूटने लगते हैं और आसपास का एक बड़ा इलाका जलमग्न होने लगता है। नदियों की बाढ़ कई बार बहुत भयावह होती है और भारी नुकसान का कारण बनती है।

में ऐसे क्षेत्र की संख्या इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में 7.336 लाख हैक्टेयर, बिहार में 4.26 लाख हैक्टेयर, पंजाब में 3.7 लाख हैक्टेयर, राजस्थान में 3.26 लाख हैक्टेयर,

असम 3.15 लाख हैक्टेयर, बंगाल 2.65 लाख हैक्टेयर, उड़ीसा का 1.4 लाख हैक्टेयर और आंध्रप्रदेश का 1.39 लाख हैक्टेयर, केरल का 0.87 लाख हैक्टेयर,

तमिलनाडु का 0.45 लाख हैक्टेयर, त्रिपुरा 0.33 लाख हैक्टेयर, मध्यप्रदेश का 0.26 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ की घटनाओं की ये फेहरिस्त बढ़ती

साल-दर-साल बाढ़ की त्रासदी

पिछले करीब डेढ़ दशकों से हालात ये बनने लगे हैं कि लगभग हर दूसरे-तीसरे साल किसी न किसी राज्य या शहर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण त्रासदी इतिहास का हिस्सा बन रही है।

वर्ष

- 2004- बिहार के 20 जिलों में 2.10 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली बाढ़ ने 3272 पशुओं और 885 लोगों की बलि ली।
- 2005- 26 जुलाई को मुंबई में हुई भारी बारिश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मुंबई में औसतन 242 एमएम बारिश होती है, लेकिन उस दिन 24 घंटे में शहर में 994 एमएम वर्षा दर्ज की गई। पूरी मुंबई जहां के तहां ठहर गई। लोग 2-2 दिन तक ऑफिस से घर नहीं जा सके। जो जहां था, वहीं ठहर गया।
- 2005- इस साल गुजरात ने भी अपने इतिहास की भीषणतम बाढ़ देखी। बहुत कम समय में हुई 505 एमएम बारिश के बाद करीब 7200 गांवों में पानी घुस गया और 1.76 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा।
- 2008- एक बार फिर बिहार में 23 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए, जिनमें से 250 तो मौत के मुंह में ही समा गए। कुल 8.4 लाख हेक्टेयर जमीन पूरी तरह धुल गई और 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो गए
- 2010- लद्दाख में छह विदेशियों सहित 255 लोग बाढ़ की भेंट चढ़ गए।
- 2012- ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ ने न केवल 60 लोगों को बेघर किया, बल्कि 124 लोगों की जान भी ले ली, साथ ही काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में 540 जानवर भी काल-कवलित हो गए।
- 2014- जम्मू-कश्मीर में आई भीषण बाढ़ में 280 लोग मारे गए और करीब 400 गांव पूरी तरह डूब गए।
- 2015- चेन्नई ने पिछले 100 सालों की सबसे भीषण बाढ़ देखी। जब दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई करीब 500 एमएम बारिश के बाद पूरा शहर डूब गया। इस बाढ़ से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

ही जा रही है। इसमें दोनों ही तरह के इलाके हैं। असम जैसे राज्य भी हैं, जहां बाढ़ एक सालाना त्रासदी है, लेकिन कश्मीर, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य भी हैं, जो हाल के वर्षों में भीषण बारिश और बाढ़ के हालात से रूबरू हो रहे हैं।

इतना क्षेत्र होता है प्रभावित: इस सूची में हिमाचल प्रदेश का 0.23 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र का 0.23 लाख हेक्टेयर, जम्मू और कश्मीर 0.1 लाख हेक्टेयर, मणिपुर का ऐसा क्षेत्र 0.08 लाख हेक्टेयर और दिल्ली का

0.08 लाख हेक्टेयर नोट किया गया था। इस मामले में कर्नाटक का 0.02 लाख हेक्टेयर, मेघालय का 0.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और पांडिचेरी के 0.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित करती है। इस तरह देश में लगभग प्रतिवर्ष 33.516 लाख हेक्टेयर का इलाका इससे प्रभावित क्षेत्र में शामिल होता है, लेकिन जब बहुत अधिक बरसात होती है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का इलाका भी बढ़ जाता है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को मुख्य रूप से तीन भागों में

बांटा जा सकता है। हालांकि उत्तर भारत के बाढ़ से प्रभावित होने वाले भागों में तीन डिवीजन प्रमुख हैं।

गंगा बेसिन का क्षेत्र: अपनी उत्तरी सहायक नदियों की अधिकता के कारण गंगा बेसिन का ज्यादातर क्षेत्र बाढ़ को झेलता है लेकिन इन इलाकों में सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्र, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। गंगा बेसिन के प्रभावित राज्यों में इन बड़ी नदियों की सहायक नदियों जैसे सारदा, राप्ती, गंडक



बाढ़ की वजह से होने वाले नुकसान

फसलों का नुकसान- किसी भी इलाके में बाढ़ आती है तो फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। बाढ़ की वजह से कई देश भुखमरी तक की कगार पर पहुंच जाते हैं।

जनजीवन की हानि- हर साल दुनियाभर में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जानें जाती हैं। इसके अलावा पशु-पक्षी भी इस प्राकृतिक आपदा के चलते बड़ी संख्या में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।

यातायात में व्यवधान- बाढ़ की वजह से कई बार सड़कें एवं पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिससे यातायात में भी बाधा पहुंचती है। कई बार नदियों के बहाव में बड़े-बड़े पुल बह जाते हैं और कई इलाकों का बाकी दुनिया से संपर्क टूट जाता है।


बीमारियों में वृद्धि- बाढ़ की वजह से मनुष्यों और जीव-जंतुओं की बड़ी मात्रा में जान जाने से कई तरह के विषाणु और रोगाणु जन्म लेते हैं। इनके प्रसारित होने से कई तरह की बीमारियां और महामारियां फैलती हैं।

आर्थिक दबाव - बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में गैर-बाढ़ पीड़ित लोगों पर अस्थायी टैक्स लगाते हैं जिससे लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ता है।

और घाघरा नदियां पूर्वी उत्तरप्रदेश को बाढ़ग्रस्त बनाती हैं। इसी तरह हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ का प्रमुख कारण यमुना नदी

है। बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ अपनी पूरी भयंकरता के साथ लोगों को निशाना बनाती है, पर गंगा बेसिन के सबसे ज्यादा प्रभावित

होने वाले राज्यों में बिहार सबसे पहले है और प्रतिवर्ष बाढ़ का तांडव लाने में बूढ़ी गंगा, महानंदा, भागीरथी, दामोदर आदि नदियां



बाढ़ से औसत नुकसान

औसत वार्षिक बाढ़ से प्रतिवर्ष 1953 से 1999 तक इतनी अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है। इस बाढ़ से राज्यों और बाढ़ग्रस्त होने वाले इलाके का नुकसान इस प्रकार है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ कम से कम 13 अरब 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाती है और यह नुकसान 81.11 लाख हैक्टेयर जमीन को प्रभावित करता है। इस बाढ़ के कारण 35.7 लाख हैक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद होती हैं। बाढ़ के प्रकोप से कम से कम 1600 लोगों की मौत होती है और 95 हजार जानवरों की मौत हो जाती है। यह बाढ़ का समाजवादी चेहरा है कि इसने देश के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मचाई है और देश का कोई कोना इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा है।

बाढ़ लाती है और बरसात के दौरान सभी नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं।

मध्य भारत और दक्षिणी नदियों के बेसिन: उड़ीसा में बाढ़ का प्रमुख कारण महानदी, बैतरणी और ब्राह्मणी जैसी नदियां हैं जो इस राज्य में तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। इन तीनों नदियों के डेल्टाओं में बहुत अधिक और घनी आबादी निवास करती है। केरल में भी नदियां और समीपवर्ती पहाड़ों से गिरकर बहने वाली नदियां विनाश की लीला लिखती हैं, लेकिन दक्षिणी और मध्य भारत में बाढ़ का प्रमुख कारण नर्मदा, गोदावरी, तापी, कृष्णा और महानदी है जिनमें भारी वर्षा के दौरान पानी बहुत बढ़ जाता है। गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में तूफानी चक्रवात गोदावरी, महानदी और कृष्णा में बाढ़ लाने का काम करते हैं और इनके कारण आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय इलाकों में, उड़ीसा और तमिलनाडु में बाढ़ आती है। अब यह भी जान लीजिए कि बाढ़ इन क्षेत्रों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।

अपर्याप्त पानी निकलने के रास्तों के कारण बाढ़ को भयानक रूप देती है।

ब्रह्मपुत्र और बराक के बेसिन: जब कभी ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में अतिरिक्त पानी आ जाता है तो यह अपने साथ तबाही

भी लाता है। ये नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ उत्तर-पूर्व के राज्यों जैसे बंगाल, असम और सिक्किम में कहर बरपाती हैं। जलदाखा तीस्ता और तोरसा पूर्वी बंगाल में और मणिपुर की नदियों में

बाढ़ की त्रासदी...

देश के अंदर आयी बाढ़ ने लोगों के जीवन को तहस-नहस कर दिया है। लोगों की आजीविका ही नष्ट हो गई है। प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर मानव जाति को कठघरे में खड़ा कर दिया है।





केरल में भूस्खलन से तबाही

प्रमोद भार्गव

नयनाभिराम प्राकृतिक संपदा और बहुआयामी जल-संसाधनों के कारण केरल को उत्तराखंड की तरह भगवान का घर माना जाता है। किंतु मूसलाधार बारिश और भूस्खलन हिमालय से लेकर केरल तक तबाही के कारण बन रहे हैं। देश के सुदूर दक्षिण राज्य केरल में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और भूस्खलन एवं चेरियाल नदी के जलभराव क्षेत्र में बसे चाय बागान मजदूरों के चार गांवों ने मिट्टी के मलबे में जल समाधि ले ली। चेरियाल नदी पहाड़ों से निकलती हुई समतल भूमि पर चार दिनों से चल रही बारिश के कारण अत्यंत तेज गति

करीब 2200 की आबादी के 400 से ज्यादा घर कुछ पलों में मिट्टी के ढेर में बदल गए। 165 के करीब लोगों के शव मिल चुके हैं और 500 के करीब लोग लापता हैं। यह पूरा इलाका पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र माना जाता है।

से बही। इसी समय पहाड़ जल के प्रवाह से बह पड़े और पत्थरों व मलबे से चूरलमाला, अट्टामाला, नूलपुझा और मुंडक्कई इस मलबे में पूरी तरह दब गए। जल की रफ्तार में हजारों पेड़, सैंकड़ों वाहन भी जड़ों से उखड़ कर ग्रामों की ओर बहते चले आए। करीब 2200 की आबादी के 400 से ज्यादा घर कुछ पलों में मिट्टी के ढेर में बदल गए। 165 के करीब लोगों के शव मिल चुके हैं और 500 के करीब लोग लापता हैं। यह पूरा इलाका पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। अतएव ग्रामीणों को पहले से ही अनहोनी की आशंका थी, जो इस बारिश में घट गई।

केरल में केदारनाथ की तरह जो जल तांडव आया, उसने तय कर दिया है कि यह आपदा भगवान की देन न होकर मानव निर्मित है। पर्यावरणविदों ने भी इस बाढ़ को मानव निर्मित आपदा करार दिया है। इसका कारण बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई और पर्यटन में वृद्धि है। चेरियाल बाढ़ क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी मानी जाती रही है, लेकिन

केरल के 80 बांधों में से 36 बांधों के दरवाजे एकाएक खोल दिए गए थे। इन बांधों से निकले पानी ने बड़ी तबाही मचाई थी। यह तबाही पूरी तरह मानवीय भूल थी, लेकिन सिंचाई विभाग के किसी नौकरशाह की जबावदेही तय करके दंड दिया गया हो, ऐसा देखने में नहीं आया।

अब आधुनिक विकास, बढ़ते

है। यह द्वार उपयोगकर्ता के अंगूठे की पहचान से खुलता है। अंगूठे के निशान पहले से ही स्कैन कर स्टोर कर लिए जाते हैं। किंतु जब तलघर में पानी भरा तब बिजली बंद कर दी गई। अतएव अंगूठे का स्पर्श कराने के बावजूद दरवाजे नहीं खुले और आईएएस बनने की तैयारी में लगे तीन युवकों की मौत हो गई। लिहाजा आने वाले समय में



वही आधुनिक विकास के चलते मौत का सबब बन गई। कृषि प्रधान इस इलाके चाय के अलावा नारियल, केला, मसाले और शुष्क। मेवा की फ सलें भी खूब होती हैं। इसके अलावा पर्यटन भी राज्य की आमदनी व रोजगार का मुख्य स्रोत है। आय के ये सभी संसाधन प्राकृतिक हैं। गोया, प्रकृति का इस तरह से रूठ जाना आर्थिक रूप से खस्ताहाल केरल पर लंबे समय से भारी पड़ रहा है। क्योंकि इसके पहले बरसात में ही

शहरीकरण के साथ तकनीक भी बाढ़ के पानी को मौत के कारणों में बदल रही है। दिल्ली की एक बहुमंजिला इमारत के तलघर में चल रही कोचिंग संस्थान में पानी भर जाने से तीन होनहार बच्चों की मौतें हुई हैं। ये मौतें पानी के कारण नहीं तकनीक के कारण हुई हैं, जिसे जांच में नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल तलघर के दरवाजे बायोमेट्रिक दरवाजे लगे थे। इस प्रकार के द्वार में चाबी वाला ताला नहीं होता

तकनीक इस तरह के हादसे का कारण न बने, इसका ध्यान रखना होगा।

सेना, नौसेना, वायुसेना के लोग केरल के आपदाग्रस्त इलाके में लोगों को बचाने में लगे हैं। लेकिन जो लोग 24 घंटे से ज्यादा समय मलबे से मलबे में दबे हुए हैं, उनका बचना असंभव है।

देश में ऐसी आपदाओं का सिलसिला पिछले एक दशक से निरंतर जारी है। बावजूद हम कोई सबक लेने को तैयार नहीं



हैं। यही कारण है कि विपदाओं से निपटने के लिए हमारी आंखें तब खुलती हैं, जब आपदा की गिरफ्त में आ चुके होते हैं। इसीलिए केरल में तबाही का जो मंजर देखने में आ रहा है, उसकी कल्पना हमारे शासन-प्रशासन को कतई नहीं थी। यही वजह है कि केदारनाथ, अमरनाथ, हिमाचल और कश्मीर के जल प्रलय से हमने कोई सीख नहीं ली। गोया वहां रोज बादल फ ट रहे हैं और पहाड़ के पहाड़ ढह रहे हैं। हिमाचल, असम और उत्तर प्रदेश में भी बारिश आफत बनी हुई है। बावजूद न तो हम शहरीकरण, औद्योगीकरण, तकनीकीकरण और तथाकथित आधुनिक विकास से जुड़ी नीतियां बदलने को तैयार हैं और न ही ऐसे उपाय करने को प्रतिबद्ध हैं, जिससे ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर न हो? शहरों में यह बढ़ती आबादी मुसीबत का पर्याय बन गई है। नतीजतन

प्राकृतिक आपदाएं भयावह होती जा रही है। सूरत, चेन्नई, बैंगलुरु, गुडगांव ऐसे उदाहरण हैं, जो स्मार्ट सिटी होने के बावजूद बाढ़ की चपेट में रहे हैं। लिहाजा यहां कई दिनों तक जनजीवन ठप रह गया था।

बारिश का 90 प्रतिशत पानी तबाही

मचाकर अपना खेल खेलता हुआ समुद्र में समा जाता है। यह संपत्ति की बरबादी तो करता ही है, खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी बहाकर समुद्र में ले जाता है। देश हर तरह की तकनीक में पारंगत होने का दावा करता है, लेकिन जब हम बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं

बारिश का 90 प्रतिशत पानी तबाही मचाकर अपना खेल खेलता हुआ समुद्र में समा जाता है। यह संपत्ति की बरबादी तो करता ही है, खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी बहाकर समुद्र में ले जाता है। देश हर तरह की तकनीक में पारंगत होने का दावा करता है, लेकिन जब हम बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं



तो ज्यादातर लोग अपने बूते ही पानी में जान व सामान बचाते नजर आते हैं। आफ त की बारिश के चलते डूब में आने वाले महानगर कुदरती प्रकोप के कठोर संकेत हैं, लेकिन हमारे नीति-नियंता हकीकत से आंखें चुराए हुए हैं। बाढ़ की यही स्थिति असम व बिहार जैसे राज्य भी हर साल झेलते हैं, यहां बाढ़ दशकों से आफत का पानी लाकर हजारों ग्रामों को डूबो देती है। इस लिहाज से शहरों और ग्रामों को कथित रूप से स्मार्ट व आदर्श बनाने से पहले इनमें ढांचागत सुधार के साथ ऐसे उपायों को मूर्त रूप देने की जरूरत है, जिससे ग्रामों से पलायन रूके और शहरों पर आबादी का दबाव न बढ़े?

आफत की यह बारिश इस बात की चेतावनी है कि हमारे नीति-नियंता, देश और समाज के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में दूरदृष्टि से काम नहीं ले रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मसलों के परिप्रेक्ष्य में चिंतित नहीं हैं। कृषि एवं आपदा

प्रबंधन से जुड़ी संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जलवायु परिवर्तन से कई फसलों की पैदावार में कमी आ सकती है, लेकिन सोयाबीन, चना, मूंगफली, नारियल और आलू की पैदावार

2031 तक भारत की शहरी आबादी 20 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। जो देश की कुल आबादी की 40 प्रतिशत होगी। ऐसे में शहरों की क्या नारकीय स्थिति बनेगी, इसकी कल्पना भी असंभव है? बहरहाल देश को हर साल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का संकट नहीं झेलना पड़े, अतएव अब क्रांतिकारी पहल करना जरूरी हो गया है।

में बढ़त हो सकती है। हालांकि कृषि मंत्रालय का मानना है कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खेती की पद्धतियों को बदल दिया जाए तो अनेक फसलों की पैदावार में 10 से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है। बढ़ते तापमान के चलते भारत ही नहीं दुनिया में वर्षाचक्र में बदलाव के संकेत 2008 में ही मिल गए थे, बावजूद इस चेतावनी को भारत सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। ध्यान रहे, 2031 तक भारत की शहरी आबादी 20 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। जो देश की कुल आबादी की 40 प्रतिशत होगी। ऐसे में शहरों की क्या नारकीय स्थिति बनेगी, इसकी कल्पना भी असंभव है? बहरहाल देश को हर साल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का संकट नहीं झेलना पड़े, अतएव अब क्रांतिकारी पहल करना जरूरी हो गया है। वरना देश हर वर्ष किसी न किसी राज्य या महानगर में बाढ़ जैसी भीषण त्रासदी झेलते रहने को विवश होता रहेगा?

प्रशासनिक सेवा और नैतिकता की कसौटी



रघु ठाकुर

महाराष्ट्र कैडर की चयनित आई.ए.एस. सुश्री पूजा खेड़कर इस समय मीडिया में काफी स्थान पा रही हैं। उनके पिताजी भी आई.ए.एस. रहे हैं और जो सेवानिवृत्ति के बाद संसदीय चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं। उनकी माँ अभी जेल में हैं और उनके प्लाट खाली कराने के लिये पिस्टल लहराते फोटो सारे देश ने देखे हैं। पूजा खेड़कर पहली बार चर्चा तब आयी जब वे प्रशिक्षु के तौर पर पूना में पदस्थ थीं और वहाँ के कलेक्टर जो छुट्टी पर गये थे। वे उनकी अनुपस्थिति में उनके कमरे और कुर्सी पर काबिज हो गई थी साथ ही उन्होंने कलेक्टर की नाम

**पूजा खेड़कर की घटना को
में एक वैयक्तिक अपराध
की घटना के साथ-साथ
भारतीय प्रशासनिक सेवा
के लोगों में जिस प्रकार की
प्रशासनिक, नैतिक गिरावट
आ रही है उसके प्रति
चिंतित हूँ। भारतीय
संविधान ने भारतीय
प्रशासनिक सेवा के
अधिकारियों को स्वतंत्र
हिस्सा माना है।**

पट्टिका हटाकर अपने नाम की पट्टिका लगा ली थी। जबकि उनका प्रशिक्षण काल पूरा नहीं हुआ। कलेक्टर के लौटकर आने के बाद उन्हें इस घटना की जानकारी मिली और उन्होंने मुख्य सचिव को जानकारी दी, क्योंकि यह सिविल सर्विस काल के हिसाब से अनुशासनहीनता है। पूजा खेड़कर यही नहीं रूकी बल्कि जब उन्हें कलेक्टर के द्वारा की गई शिकायत की जानकारी मिली तो उन्होंने कलेक्टर को ही नोटिस दे दिया। उन्हें उनके प्रशिक्षण को पूरा करने के लिये मंसूरी जाने को कहा गया पर उन्होंने उस पर भी अवज्ञा की और सार्वजनिक रूप से अधिकारियों की आलोचना शुरू कर दी।

स्वभाविक था कि, आईएएस लॉबी जो एक प्रकार से जाति का रूप ले चुकी है, ने अपने कौशल का इस्तेमाल शुरूकिया और पूजा खेड़कर के आईएएस के चयन में ही इतनी गड़बड़ियाँ हुई हैं कि इन सबका खुलासा कर दिया। उन्होंने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट गलत बनवाया, उन्होंने क्रीमिलेयर का दावा झूठ किया, जबकि उनके पिता ने अपने चुनाव के नामांकन में जो जानकारी दी उसमें उनकी, पत्नी व पूजा खेड़कर की

में होगी। पूजा खेड़कर की घटना को मैं एक वैयक्तिक अपराध की घटना के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों में जिस प्रकार की प्रशासनिक, नैतिक गिरावट आ रही है उसके प्रति चिंतित हूँ।

भारतीय संविधान ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को स्वतंत्र हिस्सा माना है। संविधान के तीन खंभे हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका के लिये कई

के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित उसमें आये थे और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं के दौर में जो रघुजी ने लिखा है चरित्र और नैतिकता वह तो होना ही चाहिए साथ में इन सेवाओं को संवेदनशील भी होना चाहिए। उनका कथन गलत नहीं है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का संबंध आम जनता के साथ होता है और बहुतेरी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए गरीब और आमजनों को सालों



संपत्ति का हवाला है। जिनके अनुसार वह क्रीमिलेयर में नहीं आती। उन्होंने गलत जानकारियों के आधार पर योग्यता से अधिक अवसर लिये इस पर संघ लोक सेवा आयोग ने संज्ञान लेते हुए, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। इसके अलावा आयोग ने भविष्य में किसी भी परीक्षा में उनके शामिल होने पर रोक लगा दी है। और संभव है कि अपनी माता जी के साथ जेल

प्रकार के वैधानिक सुरक्षायें संविधान ने दी हैं। हालांकि अकसर इन सुरक्षाओं का दुरुपयोग होता रहा है। सत्ता के चाटुकार बने कार्यपालिका अधिकारी अपराध करते हैं और इस प्रावधान के प्रयोग से वे वैधानिक दंड से बच जाते हैं। अभी 23 जून 2024 को जब मेरी दो पुस्तकें समस्या और समाधान तथा आमजन और राजनीति का विमोचन कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। तब उग्र

साल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसी घटनाओं से लगभग हर वह व्यक्ति जो सत्ता पक्ष या विशिष्टजन की श्रेणी में नहीं है या जिसके पास ऐसी कोई सिफारिश का माध्यम नहीं है तो उन लोगों की मामूली सी समस्या भी सालों साल यथावत बनी रहती है। मैं अमूमन देखता हूँ कि जब कोई व्यक्ति सांसद या विधायक चुना जाता है, मंत्री या मुख्यमंत्री या अन्य बड़े पदों पर पहुँचता है तो



उसे हजारों लोग ऐसे आवेदन करते मिलते हैं जो लगातार दशकों से आवेदन दे रहे हैं न तो उनका हल निकला है और न निकलेगा। परंतु वे अपने कर्तव्य के तौर पर उस उम्मीद में कि शायद कोई सुन ले, मंत्रियों के कार्यक्रमों में जाते हैं। किसी मुंशी को 2-5 रूपये देकर आवेदन लिखवाते हैं या टाइप कराते हैं और दे आते हैं पर किसी भी मंत्री या अधिकारी ने यह क्यों नहीं सोचा कि आखिर यह लोग इतने वर्ष से आवेदन देने को क्यों लाचार हैं? अगर उनका आवेदन गलत है तो उन्हें कहा जा सकता है और यदि सही है तो उसका हल किया जाना चाहिए। अब विधायकों, सांसदों या मंत्रियों ने जनता दरबार लगाने शुरू किये हैं जिसमें सैंकड़ों समस्या से ग्रस्त लोग आते हैं और निवेदन कर चले जाते हैं। उसी क्रम में प्रशासनिक अधिकार भी जन सुनवाई करने लगे हैं। जिलों के कलेक्टर जन सुनवाई की तारीख तय करते हैं। स्वाभाविक है कि जिलेभर के

पीड़ितों की भीड़ आ जाती है उनके आवेदन ले लेते हैं, अखबार में छपवाने के लिए मीडिया के लोग बुलाते हैं, एक-दो समस्या को हल करने के आदेश देते हैं और आधा एक घंटे में यह जनसुनवाई समाप्त हो जाती है। उसके बाद उनका क्या हुआ इसके लिये न कलेक्टरों के पास समय है न सत्ता के पास। सत्ताधीश तो यह चाहते भी नहीं है कि उनके बगैर इशारे के किसी की समस्या का निदान हो। बल्कि उनका पसंदीदा अधिकारी वही होता है जो केवल उनके इशारे पर सही या गलत करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। आजकल हवाई जहाज या हेलीकाप्टर की सुविधा होने से मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों या केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी आसान हो गये और अकसर यह होता है कि जिस दिन जनसुनवाई होती है उस दिन कोई न कोई वीआईपी या वीवीआईपी या उनसे उच्च अधिकारी जिले में होता है। उन्हें तलब कर लेता है और कलेक्टर की ओर से

एसडीएम और एसडीएम की ओर से तहसीलदार आवेदन ले लेते हैं। जैसे डाकिया पोस्ट आफिस की डाक लेता है। इतना संवेदनशील प्रशासन और शासन क्या कभी अतीत में रहा होगा, यह भी खोज का विषय है। रजवाड़ों के जमाने में कोई गरीब व्यक्ति आकर शिकायत कर सकता था और राजा त्वरित देता था, न जाँच अधिकारी बैठायें जाते थे न कमेटियाँ बनती थीं, न रपट मंगाई जाती थी परंतु इस त्वरित न्याय का परिणाम यह होता था कि आमजन सारे समाज में अपराध के दंड के प्रति एक भय व्यक्त हो जाता था। मुगलकाल में भी यह परंपरा चलती थी परंतु भारतीय कार्यपालिका जो अब वास्तव में नौकरशाही में बदल गई है वह आज भी अंग्रेजों की सत्यप्रति जैसी है।

हालांकि इसके लिये केवल अधिकारी ही जवाबदार नहीं हैं बल्कि निर्वाचित शासक भी इसके लिए जवाबदार है। कोई

मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों से यह नहीं कहता कि तुम्हारा काम राजनैतिक पार्टी चलाना नहीं है आप दलीय भेदभाव से उठकर लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं को सुनें और उनका हल करें। ट्रांसफ, तबादलों की कसौटी भी सत्ताधीशों या ताकतवर लोगों की पसंद या सुशासन अरूचियां गुस्सा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर होना चाहिए। दूसरे अदूरदर्शिता और नासमझी ने प्रशासनिक ढांचे को इतना फौला दिया है कि कोई अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कुछ करना चाहे तो उसे अपार बाधाओं को पार करना होता है। इतने दफ्तर, इतने खंड, इतने अधिकारी फौल गये हैं कि बजट का बड़ा हिस्सा तो उनकी सुविधाओं और वेतन पर खर्च हो रहा है परंतु उसके परिणाम कुछ भी नहीं हैं। कर्मचारी संगठन, मजदूर, संगठन, राजनैतिक संगठन यह सब अपने हितों तक सीमित हो गये हैं और उन्हें सत्य-असत्य से कुछ लेना-देना नहीं है, उन्हें केवल स्वहित, दलहित, परिवार हित सर्वोपरि है। हालांकि इसके परिणाम भी राजनैतिक नेतृत्व को ही भोगना पड़ते हैं। पसंदीदा पुलिस अधिकारी वो चाहे जाति, धर्म या दलीय आधार पर पसंद हो या पैसे के कारण पसंद हो परंतु वह अंततः नुकसानदायक ही सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अपने बनारस चुनाव क्षेत्र के संसदीय चुनाव के परिणाम के निष्कर्षों की उन्होंने क्या व्याख्या की मैं नहीं जानता, परंतु 6 साल से घटकर डेढ़ लाख की जीत और कई मतगणना के चरणों में हार एक प्रकार से उनकी हार ही है। और इसका एक बड़ा कारण उनके पसंदीदा अधिकारी हैं। वे अधिकारी जनता के साथ क्या कर रहे हैं, कितना अन्याय, तानाशाही कर रहे हैं, इन सवालियों पर प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा क्योंकि वे नौकरशाही के बनाये तथाकथित विकास के नाम के मृग तृष्णा के जाल में फँसे रहे। यहाँ तक हुआ कि बीएचयू की छात्रायें



अपनी जायज व मानवीय पीड़ा को लेकर महिनो आंदोलन करती रहीं, कुलपति ने उन बेटियों की बात चुनने की जगह उन्हें पुलिस से पिटवाया व लगभग एक वर्ष तक यह अंतसंघर्ष चलता रहा। जब लाचार होकर छात्राओं ने प्रधानमंत्री के दौरे में ही प्रदर्शन की घोषणा की तब कहीं जाकर प्रधानमंत्री ने कुलपति को हटवाया। अगर वह अपने अधिकारियों से पूछते कि यह खबर पूर्व में क्यों नहीं दी, अगर वह मीडिया के प्रचारकों से पूछते और वह सारी खबरें निकलवाते तो जन के साथ भी पाप होता। नौकरशाही भी सबक सीखती और उनकी छवि भी बेहतर होती। इसी प्रकार बनारस के छोटे दुकानदारों, व्यापारियों को विकास के नाम पर बेदखल करने का मामला भी था, आप किसी को भी विस्तारित करते हैं तो उसके पहले उसके स्थापना की व्यवस्था होना चाहिये। हजारों लोगों को आपने गुलाम नौकरशाहों ने बगैर वैकल्पिक व्यवस्था, चर्चा के पुलिस के डंडों के दम पर उजाड़ दिया और प्रधानमंत्री उनकी सब ठीक है कि रपट में मस्त रहे यह उदाहरण अकेले

प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि अमूमन देश के अधिकांश सत्ताधीशों का है। वे कुर्सी पर पहुँचकर कुछ सुरक्षा के नाम पर या चाटूकारिता में ऐसे घिरे रहते हैं कि उन्हें आम जनता के सुखदुख या भावना का पता नहीं लगता। अखबार के विज्ञापनों में अब समाज प्रभावित होता। वह केवल व्यक्तिका चेहरा भर जानता है। परंतु देखने में आता है कि देश की सभी सरकारें, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों यहाँ तक कि सांसद, विधायक के विज्ञापन राजनीति कर रहे हैं।

अब समय आ गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के चयन और प्रशिक्षण में नीति नैतिकता, संवेदनशीलता और जन उत्तरदायित्व को भी कसौटी बनाया जाये। और उन्हें दी गई संवैधानिक सुरक्षा को भी समाप्त किया जाये। सही अर्थों में यही सुशासन या प्रशासन होगा, वर्ना आज जो चल रहा है वह तो सही मायनों में केवल कुशासन ही है।

कलम के सिपाही..

जगत पाठक

समता पाठक

मध्यप्रदेश विधानसभा की दर्शक दीर्घा से अन्दर कूदना हो या इन्दिरा गाँधी जी की भोपाल यात्रा के वक्त चाक-चौबन्द व्यवस्था के बावजूद सदर मंजिल के सामने काले झण्डे दिखाना, यकीनन इस तरह का काम साहसी और निर्भीक व्यक्ति ही कर सकता है। जी हाँ यहाँ बात हो रही है स्व. जगत पाठक की जिनके साहस और निर्भीकता के ये मात्र उदाहरण हैं। ऐसे अनेक अवसर आए जब जगत पाठक (मेरे पिता) ने न सिर्फ अपने शारीरिक साहस का परिचय दिया बल्कि अपने आत्मबल को भी सबके समक्ष प्रस्तुत किया। वे बहुआयामी व्यक्ति थे। वे केवल पत्रकार नहीं थे, बल्कि समाज सेवा और राजनीति के अद्भुत मेल की झलक उनके जीवन में देखी जा सकती थी। पत्रकारिता, समाजसेवा और राजनीति ये तीनों किरदार उनके जीवन में एक दूसरे में गुंथे रहे। जगत पाठक सदैव सामाजिक सरोकारों से जुड़े थे और जरूरत के हिसाब से किरदार निभाते थे।

वैसे तो वे किशोरावस्था से ही समाज सेवा और राजनीति में दखल रखने लगे थे। वे महात्मा गाँधी के विचारों से प्रभावित थे किन्तु डॉ. राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण उनके आदर्श थे। डॉ. लोहिया से तो वे सीधे तौर पर जुड़े थे और उनकी सोशलिस्ट पार्टी की युवा शाखा 'युव



प्रेरणा स्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

जन समाज' के प्रदेश महामंत्री भी रहे थे। यदि यह कहा जाए कि जगत पाठक का समाजवाद एक अलग तरह का था जिसका रास्ता महात्मा गाँधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बीच से होकर गुजरता था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जगत पाठक समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों की भरपूर सहायता और सम्मान करते थे। बाबा आमटे, मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आन्दोलन और भोपाल गैस काण्ड के पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठनों की उन्होंने काफी सहायता

जगत पाठक आदिवासी अंचलों में काम करने वाली समाज सेवी संस्थाओं की

जरूरतों को पूरी कराने के लिये उनका प्रचार-प्रसार भी करते थे। होशंगाबाद के केसला क्षेत्र में वन अधिकारियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले को उन्होंने विधानसभा और संसद तक पहुँचाया था। राजनीति के साथ-साथ समाज सेवा करने वाले स्व. मधु दण्डवते, स्व. किशन पटनायक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रविराय से उनके जीवन्त सम्पर्क रहे। जगत पाठक का मूल मंत्र ईमानदारी था। वे जितने मन से ईमानदार थे, उतना ही कर्म से भी सर्वहारा और आम आदमी की समस्याओं को उजागर करने में ज्यादा रूचि लेते थे। जहाँ वे किसी सत्ताधीश या अधिकारी के कृपापात्र बनने में विश्वास नहीं करते थे। वहीं अपने लाभ के लिए किसी को टारगेट

भी नहीं बनाते थे। वरिष्ठ पत्रकार रहते हुए वे मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों की प्रशंसा करने वाले साक्षात्कार या स्तुति करने की विवशता होने की स्थिति में भी कोशिश यही करते थे कि किसी अन्य साथी को ऐसे काम के लिए भेज दिया जाए जिसे इसमें रूचि हो। जगत पाठक की अपने नाम से काफी समानता थी। गैस काण्ड के बाद इन्होंने सरकार से गैस पीड़ितों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की माँग को लेकर स्वयं प्रदर्शन और धरने दिए। उन्होंने अनेक वर्षों तक 3 दिसम्बर को यूनियन

कार्बाइड के सामने प्रदर्शन कर एण्डरसन का पुतला भी जलाया। ये भी उनके सामाजिक सरोकारों की सिर्फ झलकियाँ हैं। उनके सार्थक कार्यों की सूची काफी लम्बी है।

ऐसा नहीं है कि जगत पाठक ने कभी पराजय का मुँह नहीं देखा। मध्यप्रदेश में एक समय ऐसा था जब पत्रकारिता और पत्रकार के नाम पर सिर्फ चन्द लोगों को जाना जाता था। जगत पाठक इन्हीं में से एक थे। कभी-कभी जीवन के समझौते जीवनयापन के लिए जरूरी होते हैं लेकिन जगत पाठक ने जीवन के उस मोड़ पर भी समझौते नहीं किए और इसी कारण उनके समकालीन पत्रकार बन्धु आर्थिक उन्नति की रेस में

उनसे आगे निकल गए। ईश्वर ने सदैव जगत पाठक से मोड़ दर मोड़ पर परीक्षाएँ ली और उन्होंने हमेशा जीवटता और निर्भीकता से उन परीक्षाओं को पार किया। वे हमेशा एक हीरो की तरह सफल होकर उभरे, लेकिन कहते हैं, भले ही मनुष्य का शरीर हार जाए लेकिन उसका मन कभी नहीं हारना चाहिए। जगत पाठक का मन भी स्वार्थी समाज और इसके मतलबी लोगों के कारण हारता चला था। देखा जाए तो उनके जैसी हस्ती इस दोगले समाज के लिए बनी ही नहीं थी। न तो वे कभी इसके चाल चरित्र में फिट हो पाए और न ही इसकी पेचीदगियों को समझ पाए। और एक दिन उनके शरीर और मन दोनों ने हार मानकर इस दुनिया से

विदा ले ली। लोग कहते हैं कि सरलता और सहृदयता जैसे मानवीय गुण आज के युग में मायने नहीं रखते। लेकिन ये ही वे गुण हैं जिनके कारण श्री जगत पाठक को उनके जाने के बाद भी लोग आदर और प्यार के साथ याद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्तिको खोने का गम उसके किसी खास और अपने को ही होता है। इस मामले में भी जगत पाठक बेहद भाग्यशाली आदमी थे क्योंकि उनकी जान पहचान वाले किसी भी व्यक्तिसे उनके बारे में पूछ जाए तो वह यही कहता है 'उन्हें इतनी जल्दी नहीं जाना था।'

श्री जगत पाठक का निधन 25 दिसम्बर 1998 को हुआ।

कविता पाठ

नई रोशनी को मिले राह कैसे

नई रोशनी को मिले राह कैसे
नज़र है नई तो नज़ारे पुराने
नई शाम है तो धुँधलका पुराना
नई रात है तो सितारे पुराने

बसाएँ कहाँ घर नई जिंदगी का
लगाएँ पता क्या नई मंजिलों का
खिवैया तुम्हारी बँधी खाड़ियों में
लहर है नई तो किनारे पुराने

इधर ठोकरो पर पड़ी है जवानी
उधर सिर उठाए खड़ी राजधानी
महल में पुराने दिए जल रहे हैं
रूकी जा रही है नए की रवानी

बुलाकर नए को शरण कौन देगा
जमे हैं दुआरे-दुआरे पुराने
नई रोशनी को मिले राह कैसे
नज़र है नई तो नज़ारे पुराने

चले मंजिलों को मशालें लिए जो
अँधेरे-अँधेरे पहुँच तो गए वो
सवेरा हुआ तो नई रोशनी में
सभी भूल बैठे कुटी के दिए को

नई चाँदनी की दुहाई मचाई
मगर छा गए मेघ कारे पुराने
नई रोशनी को मिले राह कैसे
नज़र है नई तो नज़ारे पुराने

सदा काम लेकर पुरानी नज़र से
चले जा रहे हैं पुरानी डगर से
मगर यह न सोचें कि कब तक चलेगी
नई जिंदगानी पुरानी उमर से

बताते भी क्यों कर नई राह हमको
पुराने नयन के इशारे पुराने
नई रोशनी को मिले राह कैसे
नज़र है नई तो नज़ारे पुराने

वही सूत-चरखा, वही वस्त्र खादी
करें बात अपनी, रतें रोज़ गांधी
यहाँ बैलगाड़ी कि छत भी न जिसकी
वहाँ भाइयों ने स्पुतनिक उड़ा दी

दिखाते रहे वे नए स्वप्न हमको
नए रूप कहकर सिंगारे पुराने
नई रोशनी को मिले राह कैसे
नज़र है नई तो नज़ारे पुराने

हुआ देश खातिर, जनम है हमारा
कि कवि हैं, तड़पना करम है हमारा
कि कमज़ोर पाकर मिटा दे न कोई
इसीसे जगाना धरम है हमारा

कि मानें न मानें, हम आप अपना
सितम से हैं नाते हमारे पुराने
नई रोशनी को मिले राह कैसे
नज़र है नई तो नज़ारे पुराने

गोपाल सिंह नेपाली

स्वाधीनता संग्राम के प्रखर और कर्मठ नेता थे पं. नारायणराव मेघावाले

सन् 1911 में पं. नारायणराव जी ने प्रथम बार धमतरी में गणेशोत्सव का आयोजन किया। वस्तुतः ये गणेशोत्सव राष्ट्रीय-जागरण के लिए वातावरण बनाने का कार्य था। गणेशोत्सव के कार्यक्रम में मुसलमानों से भी सहयोग प्राप्त किया जाता था। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम सिरमौर है। स्वाधीनता संग्राम में दिया इनका योगदान अतुलनीय और अद्भुत है। यही कारण है कि आज प्रदेश में यह प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अपने सम्पूर्ण जीवन में पं. नारायण जी किसानों के हितों के संरक्षण और स्वाधीनता की क्रांति की अलख जगाने में संघर्षरत रहे। राष्ट्र इनके योगदान और बलिदान को सदैव याद रखेगा।

विजया पाठक

पं. नारायणराव मेघावाले (फडनवीस) स्वाधीनता संग्राम की प्रथम पंक्ति के अत्यंत प्रखर और कर्मठ नेता थे। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम सिरमौर है। स्वाधीनता संग्राम में दिया इनका योगदान अतुलनीय और अद्भुत है। यही कारण है कि आज प्रदेश में यह प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अपने सम्पूर्ण जीवन में पं. नारायण जी किसानों के हितों के संरक्षण और स्वाधीनता की क्रांति की अलख जगाने में संघर्षरत रहे। राष्ट्र इनके योगदान और बलिदान को सदैव याद रखेगा।

वे सच्चे अर्थों में किसानों के हित-चिंतक थे। साहूकारों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए उन्होंने पंचायती कोठियों का निर्माण करवाया।

मराठी भाषी होकर भी वे हिन्दी के पक्षधर थे। अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी पर उनका समान अधिकार था। छत्तीसगढ़ में वे धारा प्रवाह भाषण देते



थे। वे कट्टर वैष्णव तथा सात्विक विचारों के राजनीतिक संत थे। उन्होंने जीवन भर देश की स्वाधीनता के लिए कठोर परिश्रम किया। वे सच्चे अर्थों में कर्मवीर थे।

पं. नारायण राव फडनवीस का जन्म 25 अक्टूबर 1883 को धमतरी नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम पं. विठ्ठलराव तथा माता का नाम रुक्माबाई था। पं. नारायणराव जी सम्पन्न तथा यशस्वी परिवार से थे। धमतरी तहसील में उनके तीन गांव थे। मेघा, मुजगहन तथा माकरदोना। नारायणराव जी मेघावाले के नाम से ही अधिक विख्यात हुए।

सन् 1905 में नारायण जी ने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके उपर लोकमान्य तिलक का प्रभाव था।


सन् 1911 में पं. नारायणराव जी ने प्रथम बार धमतरी में गणेशोत्सव का आयोजन किया। वस्तुतः ये गणेशोत्सव राष्ट्रीय-जागरण के लिए वातावरण बनाने का कार्य था।

गणेशोत्सव के कार्यक्रम में मुसलमानों से भी सहयोग प्राप्त किया जाता था।

सन् 1915 में जब छोटे लाल बाबू ने धमतरी में वाचनालय की स्थापना की तो नारायणराव जी उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे इस पुस्तकालय के जीवन भर अध्यक्ष रहे।

सन् 1920 के अगस्त माह में छोटे लाल बाबू ने नेतृत्व में कण्डेल नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रचार और प्रसार के लिए नारायणराव जी तथा पं. सुंदरलाल शर्मा ने गांव-गांव का दौरा किया। यह सत्याग्रह भारत का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। यह इन नेताओं के प्रभावशील नेतृत्व का ही परिणाम था कि कण्डेल ग्रामवासियों की सरकार द्वारा कुर्कशुदा मवेशियों की नीलामी में बोली बोलने वाला एक भी आदमी सामने नहीं आया। हर बाजार में बाजार के दिन जाकर अधिकारी चार माह तक प्रयास करते रहे किन्तु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। आन्दोलन का विस्तार होता गया। अंत में निर्णय लिया गया कि आन्दोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंप दिया जाये। उनसे सम्पर्क करने के लिए पं. सुंदरलाल शर्मा को 2 दिसम्बर, 1920 को कलकत्ता भेजा गया। किन्तु गांधी जी के आगमन के पूर्व ही सरकारी अधिकारियों ने घुटने टेक दिए। गांधी जी आए और धमतरी भी गये। तब तक इस आंदोलन में विजय प्राप्त हो चुकी थी। गांधी जी ने असहयोग तथा सत्याग्रह की शक्ति को और बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर जन-मानस तैयार करने का उपदेश दिया।

1921 में मेघावाले जी धमतरी नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। सन् 1932 में नारायणराव जी के एक पुत्र केशवराव जी का आकस्मिक निधन हो गया। पुत्र के निधन से नारायणराव जी का हृदय टूट गया। धीरे-धीरे वे सार्वजनिक जीवन से विरक्त होने लगे। अपना सारा



स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर स्व. पं. नारायणराव जी को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया था।

समय गांव में एकांत में व्यतीत करते। बाद में वे लम्बी तीर्थ-यात्रा पर निकल गये। वे रत्तचाप के शिकार हो गये थे। दिनांक 24 अक्टूबर 1938 को रायपुर में उनका निधन हो गया। रायपुर में शोकसभा आयोजित की गई, जिसे ठा. प्यारेलाल सिंह आदि नेताओं ने संबोधित किया। धमतरी निवासियों को जब नारायणराव जी के निधन का समाचार

मिला तो वहां से तीन लारियों में वहां के नेता और नागरिक रायपुर आए। नारायणराव जी का अंतिम संस्कार रायपुर में ही हुआ।

वीरों की कुर्बानी ने भारत का नक्शा खींचा है, हंसते-हंसते अपने खून से इस गुलशन को सींचा है।

विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) पर विशेष...

संरक्षित जंगलों में असुरक्षित आदिवासी



राजकुमार सिन्हा

पिछले कुछ सालों से आदिवासियों, वन-निवासियों की एकजुटता, संघर्ष और लगातार बढ़ती ताकत के चलते उनके हित में अनेक कानून बने हैं, सरकारें भी उन्हें संरक्षण देने की घोषणाएं करती रहती हैं, लेकिन क्या सचमुच इन प्रयासों से आदिवासियों का कुछ भला हुआ है? पर्यटन की खातिर संरक्षित किए जा रहे वन-क्षेत्रों में आदिवासी कितने सुरक्षित हैं? प्रस्तुत है, विश्व आदिवासी दिवस पर इन्हीं की

पड़ताल करता राजकुमार सिन्हा का यह लेख।

भारत में आदिवासियों/मूलनिवासियों का जंगलों से रिश्ता सहअस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। ऐतिहासिक दृष्टि से वन एवं वनक्षेत्र आदिवासी जनजातियों का पारंपरिक निवास हुआ करता था, परन्तु जैव-विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र की परिकल्पना के साथ उन्हें पारंपरिक निवास स्थल से हटाने का काम वर्षों से चल रहा है। सन् 1865 के

भारतीय वन अधिनियम के माध्यम से लाई गई औपनिवेशिक वन-नीति के कारण, वनक्षेत्र का बड़ा हिस्सा सरकार के आधीन आ गया, जिसके चलते लाखों वन-निवासियों के पारंपरिक दावे अवैध हो गए।

स्वतंत्र भारत में भी आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई। आरक्षित वन घोषित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रियाओं से गुजरना

होता है। सरकार अधिनियम के तहत एक प्रारम्भिक अधिसूचना जारी करती है कि अमुक भूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जाना है और वन बंदोबस्त अधिकारी स्थानीय समुदाय के सभी अधिकारों को स्वीकार या अस्वीकार कर उनका निपटान करता है।

गांव के जंगल को भारतीय वन अधिनियम- 1927 की धारा-28 के तहत ग्रामवन कहा जाता है। जब सरकार किसी आरक्षित वन या किसी अन्य भूमि को ग्राम समुदाय के उपयोग के लिए आर्बटित करती है तो उस भूमि को ग्रामवन भूमि के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ग्रामवन यानि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण समाज को

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर वनभूमि से वन-निवासियों को बाहर करने की बात स्वीकार करता है। 2002-2006 से अब तक लगभग तीन लाख आदिवासी परिवारों को जंगल से निकालकर नये आरक्षित क्षेत्रों का गठन किया जा चुका है।

विधिवत हस्तांतरित किया गया वन। कुछ मामलों में ग्रामवन और वनग्राम शब्द का परस्पर उपयोग किया जाता है, जबकि अधिनियम के तहत ग्रामवन एक कानूनी श्रेणी है, वनग्राम केवल एक प्रशासनिक

श्रेणी है। वर्ष 2002 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गोदा बरमन विरुद्ध भारत सरकार के प्रकरण में 1996 में दिये गये फैसले की गलत व्याख्या की थी कि समयबद्ध तरीके से आरक्षित क्षेत्र के वनों से अतिक्रमणकारियों को बाहर निकाला जाए, जबकि उच्चतम न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों को बाहर निकालने का आदेश नहीं दिया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर वनभूमि से वन-निवासियों को बाहर करने की बात स्वीकार करता है। 2002 - 2006 से अब तक लगभग तीन लाख आदिवासी परिवारों को जंगल से निकालकर नये आरक्षित क्षेत्रों का गठन किया जा चुका है।





की धारा-36(क) के तहत राज्य सरकार स्थानीय समुदाय से चर्चा के बाद अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान के नजदीकी क्षेत्रों को संरक्षित या आरक्षित घोषित कर सकती है। वनाधिकार कानून की धारा-2 (घ) में कहा गया है कि वनभूमि से किसी वनक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली किसी भी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं। अर्थात इन सभी तरह के जंगलों में वन-निवासियों की पारंपरिक अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। कर्नाटक का बीआरटी हिल्स अभयारण्य वन्यजीवों और मानवों के सहअस्तित्व का बढ़िया उदाहरण है। यहां तक कि सरकार ने भी यह माना है कि वन्यजीवों और मानवों का सहअस्तित्व संभव है।

सन् 2016 में पारित प्रतिपूरक वनरोपण निधि (सीएएफ, कैम्पा) में उल्लेख है कि वन-निवासियों की भूमि पर वृक्षारोपण से पहले उनसे परामर्श किया जाना चाहिए, परन्तु वन-विभाग वनों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक सहमति में विश्वास नहीं रखता और आदिवासियों की खेती की जमीनों पर वनीकरण अभियान चलाता है। ये वो जमीनें हैं जहां का अधिकार पत्र या तो वन निवासियों को दे दिया गया है या उसके संबंध में अंतिम निर्णय का इंतजार है। जहां भी कैम्पा निधियों के वितरण में वृद्धि हुई है, वहां वन-निवासियों और वन-विभाग या सरकार के बीच परस्पर विरोधी दावों के मामले काफी अधिक हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई-ग्रीनवाच बेवसाइट के अनुसार 10 राज्यों के 2479 क्षेत्रों में वृक्षारोपण का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 70 प्रतिशत से अधिक वृक्षारोपण गैर-वनभूमि की बजाय वनभूमि पर किया गया है।

केवल मध्यप्रदेश में ही अब तक 125 गांवों को जलाकर राख कर दिया गया है।

पहले यह समझा जाता था कि वन संरक्षण के लिए वन-निवासियों को वन से बाहर करना आवश्यक है। पहली बार वनाधिकार कानून में पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के तरीके में बदलाव लाया गया। इस कानून की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि वन-निवासी समुदाय न केवल वन-पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं, बल्कि वनों के संरक्षण के लिए अनिवार्य हैं। वनाधिकार

कानून की स्पष्ट मान्यता है कि जनजातीय समुदाय की खाद्य-सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित की जाए। कानून में आगे स्वीकार किया गया है कि पहले सरकार के विकास कार्यों के कारण जनजातीय लोगों एवं वन-निवासियों को अपनी पैतृक भूमि से जबरन विस्थापित होना पड़ा था। जनजातियों एवं वन-निवासियों के पट्टे तथा पहुंच के अधिकारों से जुड़ी असुरक्षा को ठीक करने की आवश्यकता है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972



तीव्र गति से बढ़ रही कथित विकास परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन का समाधान निकालने के लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। तेजी से बढ़ते विस्थापन की सबसे अधिक मार देश के आदिवासी समुदाय पर पड़ रही है। सन् 2016 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 1990 के बीच देश में 87 लाख आदिवासी विस्थापित हुए थे जो कुल विस्थापितों का 40 प्रतिशत है। वनाधिकार कानून, 2006 की धारा-5 कहती है कि किसी वन-अधिकार धारक, उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, ग्रामसभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं निम्न लिखित के लिए सक्षम हैं - (क) वन्यजीव, वन और जैव-विविधता का संरक्षण करना, (ख) यह

सुनिश्चित करना कि लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जलस्रोत और अन्य संवदेनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं, (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन-निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित है जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती हैं, (घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए जो वन्यजीव, वन और जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्रामसभा में लिए गए विनिश्चयों का पालन किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 244 की व्यवस्था के मुताबिक पांचवीं अनुसूची के

प्रावधानों (धारा-2) में अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यों की कार्यपालन शक्ति को शिथिल किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल को सर्वोच्च शक्ति एवं अधिकार दिया गया है। पांचवीं अनुसूची की धारा 5(1) राज्यपाल को विधायिका की शक्तिप्रदान करती है और यह शक्ति संविधान के किसी भी प्रावधानों से मुक्त है। आदिवासियों से किसी प्रकार के जमीन हस्तांतरण का नियंत्रण राज्यपाल के आधीन आता है। इतने सारे संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के होते हुए भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन-निवासियों का जीवन असुरक्षित है तो कानून का राज कहां है?

लेखक बरगी बांध विस्थापित संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं।

शिवराज के बनाए रास्ते पर मोहन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे डॉ. मोहन यादव



राजेन्द्र कानूनगो

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण विभाग जो कि किसानों से संबंधित है, किसानों की भलाई से संबंधित है, वह कृषि विभाग, उसके वे अब केबिनेट मंत्री बन चुके हैं, उनके स्थान पर पार्टी ने काफी सोच विचार करने के बाद उज्जैन के विधायक जो पूर्व में शिवराज केबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बांगडोर सौंपी है। डॉ. मोहन

डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में और प्रदेश की जनता में एक आशा की किरण जगी थी कि अब आने वाला समय प्रदेश की जनता के लिए कुछ नई सौगातें लेकर आएगा और प्रदेश की जनता जो कि अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली से हटकर कुछ नया देखेगी।

यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में और प्रदेश की जनता में एक आशा की किरण जगी थी कि अब आने वाला समय प्रदेश की जनता के लिए कुछ नई सौगातें लेकर आएगा और प्रदेश की जनता जो कि अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली से हटकर कुछ नया देखेगी। कहना न होगा कि अभी तक का समय गुजारने के बाद कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सरकार की बनी बनाई छवि को तोड़ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण लाडली बहना योजना

है, जिसमें जनता को अपेक्षा थी की नया कुछ होगा। वह हो नहीं सका। पहले हर कार्यक्रम को जो एक प्रकार की जो इवेंट बनाने की छवि थी, उसको भी मोहन अपनी मुरली के तान से बदल नहीं पाए। अभी भी वहीं दोनों हाथ रक्षाबंधन के लिए उठे हुए हैं, अभी भी 1500 डमरु महाकाल की यात्रा में बजाकर प्रमाण पत्र हासिल किया जा रहा है, अभी भी प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए बाकायदा इंडस्ट्रियल सबमिट हो रही है, भले ही उनका नतीजा आने वाले

मंगलवार को भोपाल में रहा करते थे, राजधानी में रहा करते थे, ताकि माननीय विधायक पूर्व विधायक सांसद पूर्व सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधि, पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे भेंट कर सकें और अपनी समस्याएं उन्हें बता सकें। इसके अलावा गाहे-बगाहे पूर्व मुख्यमंत्री ने जब व्यवस्था लागू की थी कि सभी मंत्रीगण सोमवार व मंगलवार को राजधानी में रहें, ताकि जनप्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात सुलभ हो सके। इसी प्रकार यह तय हुआ था कि

अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए समाधानपूर्वक निपटाना कर सके।

कुल मिलाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय या सचिवालय को आखिरकार उसी रास्ते पर चलना पड़ रहा है, जो पहले की सरकार ने बनाया था। नया कुछ विशेष रूप से देखने को मिला है, ऐसा कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है। प्रदेश के लोगों ने अपने नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से जो विशेष उम्मीदें लगाई थी, चाहे वह कोई सा भी वर्ग हो खास कर पत्रकार वर्ग हो, वह



समय में क्या होगा कोई जानता नहीं है।

प्रदेश के माननीय मंत्रीगण को अभी तक जिलों का प्रभार सौंपा नहीं जा सका है। क्या परेशानी है इसमें, पता नहीं हो पा रहा है। क्या दिल्ली से कोई इसमें अड़ंगा है। आखिर निर्णय क्यों नहीं लिया जा पा रहा है? माननीय मंत्रीगण अभी भी अपने पूरे स्टाफ के लिए एक प्रकार से तरस रहे हैं उन्हें अनुभवी स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री पूर्व में हमेशा सोमवार और

प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इन दोनों दिनों में भोपाल में रहें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी जनप्रतिनिधियों को मुलाकात करने में ना उठाने पड़े।

अब जाकर सरकार ने यह तय किया है कि सोमवार एवं मंगलवार को मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रीगण भोपाल में उपस्थित रहेंगे, साथ ही सभी विधायक आवश्यक रूप से भोपाल में रहेंगे, ताकि वह अपने क्षेत्र के विकास की समस्याओं और उनकी

उसे पूरी होती नजर नहीं आ रही है। यदि यह कहा जाए कि शिवराज के बनाए रास्ते पर ही मोहन यादव अपना सफर कर तय कर रहे हैं, तो आम जनता के मत के अनुसार यह गलत नहीं होगा। हां, इतना जरूर है कि आने वाला समय किसी ने देखा नहीं है। हो सकता है कि शिव से ज्यादा चमत्कार मोहन कर जाएं।

Union Budget 2024-25

SC, ST, and OBC welfare not a priority



Nesar Ahmad

A major concern is the underutilization of the budgets allocated to the relevant ministries and departments. Year after year, the actual expenditures have been lower than the budget estimates. This indicates not just the lack of effective implementation but also an indifference towards marginalized communities, writes Nesar Ahmad. While presenting the union budget for the year 2024-25, Finance Minister Nirmala Sitaraman identified nine priorities: increase in productivity and resilience in agriculture; employment and skilling; inclusive human resource development and social justice; manufacturing and services; urban development; energy security;

infrastructure; innovation, research and development; and next-generation reforms. Most of the focus on inclusive human development and social justice has been confined to the eastern (especially Bihar) and north-eastern states and to Andhra Pradesh. The Finance Minister announced Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan for 63,000 tribal majority villages and villages in aspirational districts but this does not figure in the list of schemes under the Ministry of Tribal Affairs budget.

Budget for marginalized communities

There is very little or no increase in the budget for ministries and departments catering to the needs of various marginalized sections of

society. The budget for the Department of Social Justice and Empowerment has increased by only 1.2 per cent from last year, while the budget for the Department of Empowerment of People with Disabilities is the same as in the last year. The budget for the Ministry of Tribal Affairs has increased by 4.3 per cent, for the Department of Minority Affairs by 1.3 per cent and for the Ministry of Women and Child Development by only 2.5 per cent.

As the table below shows, while all the ministries saw an increase in budget in 2023-24 compared to the years 2021-22 and 2022-23, the Ministry of Minority Affairs budget saw a major decline and it has remained almost the same this year

as well.

A major concern emerging from the above table is the underutilization of the budgets allocated to these ministries/departments as shown by the actual expenditures in the above table. Year after year the actual expenditures have been lower than the budget estimates for all the ministries. This underutilization indicates not just the lack of effective implementation but also an

central sector schemes of this department saw an increase of little more than Rs 100 crores while the budget for its centrally sponsored schemes is unchanged from last year. The budget for the Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes and Umbrella Scheme for Development of Other Vulnerable Groups as well as for the Scheme for Economic Empowerment of Denotified, Nomadic and Semi-

crores.

Union Finance Minister Nirmala Sitaraman and Minister of State Pankaj Choudhary call on President Droupadi Murmu before presenting the budget in Parliament

The total budget for the central sector schemes of the Ministry of Tribal Affairs saw an increase of about Rs 500 crores while the budget for centrally sponsored schemes of the ministry is the same as in the last



indifference towards marginalized communities.

Major schemes for the marginalized sections

The Department of Social Justice and Empowerment is tasked with the welfare of communities like Scheduled Castes (SC), Other Backward Classes (OBC), Denotified Nomadic Tribes (DNT) and transgenders. The total budget for the

Nomadic Communities (SEED) is almost the same as in the last year. The budget for the Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities increased by Rs 3 crores. The total budget for the Comprehensive Rehabilitation for Welfare of Transgender Persons, which was just Rs 52 crores in 2023-24, has been increased to Rs 68

year. Schemes like Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission and Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojna (earlier Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme) faced budget cuts, while the budget for National Fellowship and Scholarship for Higher Education of Scheduled Tribe students is less than last year's revised estimate.

The total budget for the central

sector schemes of the Ministry of Minority Affairs declined while the budget for centrally sponsored schemes of the ministry remained almost the same as in the last year. Overall budget for the educational empowerment under the Ministry of Minority Affairs declined from Rs 1689 crores to Rs 1575 crores, while there is now a negligible budget allocation (just Rs 3 crore) for the Skill Development and Livelihoods

The budgets for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare are 8.18 per cent and 4.85 percent respectively of the total budget for all the schemes of the central government, which is much less than the share of these communities in the country's population.

Gender budget

As far as the gender budget is concerned, it is about 6.8 per cent of

better reporting in the Gender Budget Statement (GBS). For example, a major increase in the Part A of the Gender Budget (comprising schemes that allot 100 per cent of the funds to women) came from National Rural Livelihood Mission-Aajeevika under Department of Rural Development and LPG connection to Poor Households under Ministry of Petroleum but neither of the two schemes is new. It also has to be



Schemes run by the ministry. However, the budget of the Prime Minister Jan Vikas Karyakram, a scheme under the same ministry, has increased.

Budget for welfare of SCs and Sts

The budgets for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has increased only by 4 per cent and 4.5 per cent respectively.

the country's total budget this year, which is higher than in the last year. The reason for the increase in the gender budget this year is, however, the reporting of their gender budgets by new ministries and departments and inclusion of those schemes in the gender budget by other ministries which were not reported earlier.

The increasing trend in size of gender budget therefore indicates

borne in mind that allocation under the LPG connection to Poor Households was almost nil last year and the allocation for the Aajeevika was not reported in Part A. There is now a new scheme called Drone Didi under the Department of Agriculture and Farmers Welfare in Part A of GBS.

Similarly in Part B (comprising schemes that allot 30-99 per cent of



the funds to women), Ministries of Culture, Home Affairs, Electronics and Information Technology, Micro, Small and Medium Enterprises and Power have improved their reporting.

Additionally, this year the government has introduced Part C of the gender budget, in which the schemes with less than 30 per cent allocation for women are listed. Only one scheme has been mentioned under Part C this year: Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan), in which Rs 15,000 crores (25 per cent of the total allocation for the scheme) is reported to be going towards women. We know the PM-Kisan scheme is ownership-linked and only land-owning farmers can access its benefits. Since only 14 per cent women farmers own land, the 25 per cent allocation to gender budget under the scheme is a welcome

development.

Budget for major schemes


If we talk about the major central government schemes, the budgets for Samagra Shiksha, Swachh Bharat Mission-Urban and Rural, National Ayush Mission, Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, National Social Assistance Programme, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural, Amrit Yojana, Mission Vatsalya (Child Protection Service and Child Welfare Service), Mission Shakti (Women Protection and Empowerment Mission), Jal Jeevan Mission-Rural are almost the same as in the last year or show a marginal increase. The budget for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), which has been a key source of rural employment, is equal to the revised

estimate of last year.

At the same time, there has been some increase in the budgets for Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM Poshan), Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, Flexible Pool for Urban Health Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission, Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0. But the budgets for Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission and Smart City have seen a decrease.

Overall, the budget 2024-25 does not seem to have much to offer for the marginalized sections of society.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल



जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.
संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.